Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation

Dr. Syama Prasad Mookerjee Research Foundation

अनुच्छेद 370 व 35ए का उन्मूलन

संकलन एवं संपादन

आदर्श तिवारी

रिसर्च एसोसिएट, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन

अभय सिंह

रिसर्च एसोसिएट, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन

कला संपादक

अजित कुमार सिंह

सितम्बर 2019

Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation

Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation
9, Ashoka Road, New Delhi- 110001
Web :- www.spmrf.org, E-Mail: office@spmrf.org,
Phone:011-23005850

विषय सूची

1.	भूमिका	4
2.	अनुच्छेद 370 हटने के बाद शांति और विकास के पथ पर अग्रसर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	5
3.	जम्मू-कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह की प्रेस कांफ्रेंस के मुख्य बिंदु	10
4.	जम्मू-कश्मीर में पाबंदी में ढील, स्वास्थ्य सेवाएं सामान्यः केंद्र सरकार	11
5.	गृह मंत्रालय के प्रवक्ता द्वारा जम्मू कश्मीर के सामान्य होती स्थिति को लेकर किए गए ट्वीट	13
6.	जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम की प्रेस कांफ्रेंस के मुख्य बिंदु	14
7.	कश्मीर की जमीनी हकीकत - **हर्ष वर्धन त्रिपाठी**	16
8.	जम्मू-कश्मीर के लोग शांति चाहते हैं - **अशोक श्रीवास्तव**	20
9.	जम्मू एवं कश्मीरः नई पारी की शुरुआत - **सन्नी कुमार**	24
10.	अनुच्छेद-370: विश्व पटल पर अलग-थलग पाकिस्तान - **पीयूष द्विवेदी**	26
11.	धारा-370 हटाने का विरोध बताता है कि कांग्रेस ने पिछली गलतियों से कोई सबक नहीं लिया है! - **रमेश कुमार दुबे**	28
12.	साहसिक निर्णय से घाटी की बदलेगी तस्वीर - **आदर्श तिवारी**	30
13.	मोदी-शाह के ऐतिहासिक काम का आजाद भारत के इतिहास में दूसरा उदाहरण मिलना कठिन है - **प्रदीप सिंह**	32
14.	देर से उठा दुरुस्त कदमः आर्टिकल 370 हटने से कश्मीर-शेष भारत के बीच गिरी दीवार, विकास का मार्ग खुला - **प्रकाश सिंह और प्रतिभा नैथानी**	35
15.	पीएम मोदी ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर देश को 73वें स्वतंत्रता दिवस पर दिया अनमोल उपहार - **डॉ. एके वर्मा**	38
16.	कश्मीरियत बनाम जम्हूरियतः धरती के स्वर्ग में अब लगेंगे चार चांद - **प्रो. धीरज शर्मा**	41
17.	कश्मीर के विकास में बाधा बन गया था अनुच्छेद 370 - **मृत्युंजय कुमार**	44
18.	सांप्रदायिकता बढ़ाने वाले अनुच्छेद 370 का जम्मू-कश्मीर से जाना - **अजय सेतिया**	46

भूमिका

बीते पांच अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा आखिरकार डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 'एक विधान, एक प्रधान और एक निशान' के सपने को साकार करते हुए जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 को `समाप्त कर दिया गया. यह एक ऐतिहासिक निर्णय था, जिसके परिणामस्वरूप जम्मू-कश्मीर अब विकास के पथ पर अग्रसर होगा एवं अलगाववाद और आतंकवाद से मुक्त होकर शांति के पथ पर आगे बढ़ेगा.

अनुच्छेद 370 के समाप्त होने के साथ ही अमूल, रिलायंस जैसी कंपनियों ने जम्मू-कश्मीर में निवेश को लेकर दिलचस्पी दिखाई है. यह एक सकारात्मक पहलू है, क्योंकि यदि राज्य में निवेश आएगा तो रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और इस प्रकार वहां के युवा भी देश के विकास में अपनी महती भूमिका निभा सकेंगे.

गौरतलब है कि भारत का अभिन्न हिस्सा होने के बावजूद जम्मू-कश्मीर में पूरे देश से अलग विधान चलते थे, लेकिन अनुच्छेद-370 की समाप्ति के साथ ही वहां भी भारतीय संसद की शक्ति सर्वोच्च हो गयी है. अब जो अधिकार पूरे भारत के लोगों को मिलते थे, वह सभी अधिकार जम्मू-कश्मीर की जनता को भी प्राप्त होंगे. अनुच्छेद-370 से जम्मू-कश्मीर की जनता का कुछ लाभ नहीं हुआ, बल्कि इसका दुरूपयोग करते हुए कुछ लोगों ने इसे अपना राजनीतिक हथियार बनाकर वहां की जनता के खिलाफ ही इस्तेमाल किया.

ज्ञात हो कि जवाहरलाल नेहरू ने अनुच्छेद-370 पर कहा था कि यह घिसते-घिसते स्वयं ही हट जाएगा, लेकिन इसे जाते-जाते 70 वर्ष का लंबा समय बीत गया और इस दौरान इसने जम्मू-कश्मीर के विकास में रोड़ा बनने के साथ ही वहां अशांति फ़ैलाने का भी कार्य किया.

केंद्र सरकार के इस निर्णय को लेकर देश में एक गंभीर विमर्श खड़ा हुआ है. हालांकि कुछ मुट्ठी भर लोगों को छोड़ दें तो देश का बड़ा वर्ग केंद्र सरकार के इस फैसले से प्रसन्न है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ स्वयंभू बौद्धिक जमात के लोग व कुछ नेता इस फैसले को गलत ठहराने एवं जम्मू–कश्मीर की स्थिति को लेकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन संचार-क्रांति के युग में लोग सही-गलत के फर्क को बखूबी समझने लगे हैं तथा उन्हें किसी बहकावे में नहीं लाया जा सकता.

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन ने अनुच्छेद-370 पर समाचार पत्रों में प्रकाशित आलेखों में से कुछ चयनित आलेखों को संकलित करके एक बुकलेट का स्वरूप दिया है. इस बुकलेट के माध्यम से पाठक एक ही जगह अनुच्छेद-370 व 35 ए से जुड़े विभिन्न पहलुओं को पढ़ सकता है. इस संकलन में जितने भी लेख लिए गये हैं, सभी लेखों के लिए अधिष्ठान लेखकों एवं समाचार पत्रों के प्रति आभारी है.

डॉ. अनिर्बान गांगुली

निदेशक, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन

अनुच्छेद 370 हटने के बाद शांति और विकास के पथ पर अग्रसर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद देश ही नहीं विदेश में भी कश्मीर को लेकर तरह-तरह की भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की गई. इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि विदेशी मीडिया के साथ-साथ भारत की मीडिया का एक तबका भी कश्मीर की वास्तविक सच्चाई से दूर रह गया या फिर यह कहें कि उस सच्चाई तक पहुंचने का प्रयास ही नहीं किया, लेकिन यह कहावत सत्य है कि 'सांच को आंच नही'. जब कश्मीर को लेकर अफवाहों का दौर जारी था, उसी दौरान कश्मीर से ही आई विभिन्न रिपोर्ट और तथ्य यह साबित करते रहे कि कश्मीर में स्थिति काफी हद तक सामान्य हो चुकी है.

जम्मू और कश्मीर के सूचना और प्रसारण विभाग के द्वारा विविध क्षेत्रों से जुटाई गई सूचनाएं आप भी पढ़िए और यह तय कीजिए कि कश्मीर की वास्तविक सच्चाई से आपको जबरन दूर रखने के पीछे कौन सी मानसिकता काम कर रही है.

हम कश्मीर से आ रही आधिकारिक, तथ्यपरक और प्रमाणिक सूचनाओं को बिन्दुवार साझा कर रहे हैं.

पूर्ण शान्ति की ओर बढ़ता कश्मीर

- जम्मू और कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि कश्मीर के सभी 105 पुलिस थानों में दिन के समय प्रतिबंधों में छूट दे दी गई है। स्थिति में सुधार को देखते हुए यह फैसला किया गया है.

लेह के लिए सरकार ने नए मेडिकल कॉलेज की घोषणा की

24 सितंबर 2019

- स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के विकास के लिए सरकार द्वारा लेह क्षेत्र के लिए नए मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई. लेह और लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल (LDC) के डिप्टी कमिश्नर की सलाह से स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने लेह में सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए सिंधुघाट में 201 कनाल जमीन की पहचान की है.
- इस नए मेडिकल कॉलेज के बनने के बाद न केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में बल्कि पूरे लेह और लद्दाख में विकास का मार्ग खुल जाएगा.
- अधिकारियों के मुताबिक इस योजना का डीपीआर अंतिम चरण में है और मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा कुल 325 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की जाएगी, जिनमें 115 करोड़ रूपए छात्रों और संकायों के लिए, 80 करोड़ रूपए छात्रावास के लिए, मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए 70 करोड़ रूपए और 60 करोड़ रूपए शिक्षा और अस्पताल के लिए होंगे.

कुपवाड़ा के डीसी कार्यालय में 3500 लोगों ने इंटरनेट सेवाओं का इस्तेमाल किया

24 सितंबर 2019

- लगभग 3500 लोगों ने डिप्टी कमिश्नर कार्यालय परिसर कुपवाड़ा में प्रदान की जा रही इंटरनेट सेवाओं का उपयोग किया है.
- इंटरनेट लाभार्थियों में 2000 ट्रांसपोर्टर, 1037 छात्र, 226 व्यापारी और ठेकेदार शामिल हैं, जबकि शेष इंटरनेट का उपयोग पुलिस और सेना के साथ-साथ सरकारी विभाग द्वारा किया गया है.

स्वच्छता ही सेवा: राजौरी के 312 विशेष ग्राम सभाओं में आयोजन

23 सितंबर 2019

- इस कार्यक्रम में ग्रामीणों को प्लास्टिक के बुरे प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया जो कि पर्यावरण को बुरी तरह से खराब कर रहा है और मिट्टी प्रदूषण का भी मुख्य कारण है. प्रशासन द्वारा किए जा रहे उपायों को लेकर भी ग्रामीणों को जागरूक किया गया. इसके अलावा जो अधिक से अधिक प्लास्टिक एकत्र करेगा, उसे पंचायत से विशेष पुरस्कार प्रदान किया जाएगा.
- कार्यक्रम में भाग लेने वाले पंचायत प्रमुखों और ग्रामीणों ने अधिकारियों को आश्वासन भी दिया कि वे अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे और प्लास्टिक सामग्री का उपयोग नहीं करेंगे.
- प्लास्टिक के उपयोग के खतरों के बारे में लोगों को प्रेरित करने और जागरूक करने के लिए, जिला प्रशासन ने रैली के अलावा भी अन्य गतिविधियों का आयोजन किया गया. इसके अलावा, प्रशासन द्वारा जिले के विभिन्न स्थानों पर दुकानदारों के बीच जूट और कपड़े के थैले बांटे गए.

जम्मू कश्मीर के डीजीपी की प्रेस विज्ञप्ति

21 सितंबर 2019

- पिछले 45 दिनों में एक बार भी बंदूक का उपयोग नहीं हुआ है. घाटी में गोली लगने से किसी की मौत नहीं हुई है. कई जिलों में आधा दर्जन से भी कम घटनाएं हुई.
- अनुच्छेद 370 हटाने के 45 दिनों के बाद जम्मू और कश्मीर के 22 जिलों में से 14 जिलों की संचार पर लगी रोक को आंशिक रूप से हटा दिया गया था. लैंडलाइन पूरी तरह से बहाल कर मोबाइल सेवाओं को फिर से शुरू किया गया था. पूरे जम्मू और कश्मीर से प्रतिबंधात्मक आदेश हटा दिए गए हैं.
- डीजीपी दिलबाग सिंह ने विदेशी मीडिया की खबरों में पुलिस की बर्बरता की खबरों का खंडन किया. उन्होंने कहा कि "मैं मीडिया को आमंत्रित करना चाहूंगा कि यदि मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तभी वे रिपोर्ट करें. वे लोग चुपचाप लोगों के घर जाते हैं और लोगों को सिखाते हैं कि क्या कहना है.
- यह हो सकता है कि एक पथराव करने वाले को चोटें लग सकती हैं, लेकिन पुलिस को ऐसे किसी भी व्यवहार की अनुमति नहीं है जिससे कश्मीर के लोगों को कोई असुविधा हो. पुलिस सभी के लिए उपलब्ध है और स्पष्ट निर्देश हैं कि सभी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा.

- दिलबाग सिंह ने बताया कि, "पिछले वर्षों की तुलना में आतंकवादियों द्वारा कोई स्थानीय भर्तियां भी नहीं की गई हैं. दक्षिण कश्मीर से लापता युवाओं के केवल 1 या 2 मामले हमारे संज्ञान में आए हैं और उनका सत्यापन किया जा रहा है.
- घाटी में स्थानीय आतंकवादी गतिविधि अब तक सबसे कम है. पहले इनकी संख्या 300 हुआ करती थी, लेकिन अब 100 से भी कम है. यही कारण है कि पाकिस्तान बौखलाया है.
- डीजीपी ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस पिछले 30 वर्षों से उग्रवाद और कानून व्यवस्था को संभालने का काम अच्छे से कर रही थी. परिस्थितियों के अनुसार हमारी हर प्रतिक्रिया पर बहुत नजर रखी जाती है. हमारे लोग क्षेत्र को और वहां के लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं. यदि कोई क्षेत्र में पथराव कर रहा है, तो वे लड़कों की पहचान कर सकते हैं, उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं और यदि आवश्यक हो तो न्यूनतम बल का प्रयोग भी कर सकते हैं.
- पिछले 45 दिनों में कई स्थानों पर पुलिस बल का कम प्रयोग हुआ है. आधा दर्जन घटनाएं ऐसी थीं जिन्हें रोकने के लिए पुलिस बल का प्रयोग भी किया गया, क्योंकि वहां पथराव बहुत ज्यादा हो रहा था. दो-चार जगहों पर हमने पेलेट गन का भी इस्तेमाल किया. यह कोई घातक हथियार नहीं है और यह कानून और व्यवस्था की किट का हिस्सा है, लेकिन जब स्थिति अपेक्षाकृत अधिक गंभीर होती है तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं.

सितंबर में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के छात्रों के लिए एसएससी परीक्षा आयोजित

19 सितंबर 2019

- कर्मचारी चयन आयोग (SSC) जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उम्मीदवारों के लिए सितंबर के महीने में जम्मू, सांबा, लेह और चंडीगढ़ में चार परीक्षाओं का आयोजन करने जा रहा है.
- जूनियर इंजीनियर्स परीक्षा -2018 के लिए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 23 सितंबर से 27 सितंबर तक जम्मू, सांबा, लेह में परीक्षा आयोजित होगी. 4279 उम्मीदवार परीक्षा में बैठने वाले हैं.

पोषण माह: कठुआ में होने वाले आयोजनों के बारे में

19 सितंबर 2019

- पोषण माह के संबंध में कठुआ जिले में विभिन्न विभागों द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है.
- गांवों में पोषण को लेकर सेमिनार / कार्यशाला, रैली, चौपाल का आयोजन किया जा रहा है. इसके साथ ही पैम्पलेट वितरण, समाज कल्याण, ग्रामीण विकास, स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से ब्लॉक स्तर पर किया जा रहा है. छात्रों और अन्य लोगों के बीच जागरूकता पैदा किया जा रहा है ताकि हमारे समाज से कुपोषण समाप्त हो जाए.
- पोषण अभियान केंद्र सरकार की प्राथमिकता वाला प्रमुख कार्यक्रम है जो बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों में एनीमिया, कम वजन के स्तर को कम करने का प्रयास करता है.

श्रीनगर में प्रमुख पेयजल, जल निकासी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 16.5 करोड़ रुपये आवंटित

19 सितंबर 2019

- सरकार ने श्रीनगर में बड़ी जल निकासी और पेयजल नेटवर्क परियोजनाओं को पूरा करने के लिए लगभग 16.5 करोड़ रुपये जारी किए हैं.
- ये परियोजनाएं श्रीनगर में अलग अलग क्षेत्रों को कवर करती हैं और इनमें से अधिकांश परियोजनाएं पुराने बुनियादी ढांचे को नए रूप में विकसित करेंगी. इनमें जल निकासी के लिए 26 और पेयजल नेटवर्क के लिए 4 कार्य शामिल है.

जम्मू-कश्मीर के गवर्नर द्वारा लद्दाख में बिजली परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास

19 सितंबर 2019

- राज्यपाल सत्यपाल मलिक और केंद्रीय राज्य मंत्री आर.के. सिंह ने राजभवन सभागार में आयोजित एक समारोह में पीएमडीपी, डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस और अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत कुल 15 बिजली परियोजनाओं का उद्घाटन किया.
- राज्यपाल ने कर्मचारियों को 'सौभाग्य योजना' के तहत शत प्रतिशत घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के लिए देश में पहला राज्य घोषित होने पर सराहना की.
- राज्यपाल ने मीडिया से भी आग्रह किया कि वे कश्मीर की सामान्य स्थिति के बारे में लोगों को बताएं. जहां आज तक की स्थिति शांतिपूर्ण है और किसी भी अप्रिय घटना की कोई रिपोर्ट नहीं है. उन्होंने कहा कि अस्पताल और स्कूल खुले हैं, बुनियादी सुविधाओं और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी जारी है, घाटी में फल उत्पादकों की सहायता करने के लिए सेब की खरीद शुरू की गई.

20 जुलाई से 23 अगस्त के बीच कश्मीर घाटी में 32 करोड़ रुपये की दवाइयां दी गईं

26 अगस्त 2019

- कश्मीर के बाजारों में दवाओं की कमी की बातें मात्र एक अफवाह हैं और खबरें निराधार हैं.
- दवाओं में एंटीबायोटिक्स, एंटी-डायबिटिक, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, एंटी-हाइपरटेन्सिव, एंटासिड, एनएसएआईडी, एंटीकैंसर ड्रग्स, कार्डियोवस्कुलर ड्रग्स, एंटी-ट्यूबरकुलर, एंटी-डिप्रेसेंट, साइकोट्रोपिक्स जैसी दवाएं शामिल हैं.
- डाइट ड्रग्स कंट्रोलर ने बताया कि कश्मीर घाटी में अधिकृत स्टॉकिस्टों को आवश्यकता वाली दवाओं की समय पर आपूर्ति तय करने और उन्हें सुविधाजनक बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं.
- ड्रग्स कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन, कश्मीर और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना ने सूचित किया है कि प्रधानमंत्री जनऔषधि के सभी आउटलेट श्रीनगर के विभिन्न स्थानों पर पूरी तरह से चालू हैं और सभी प्रकार की दवाओं का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है.

कठुआ में कुपोषित बच्चों की देखभाल करने के लिए 'पोषाहार अभिभावक'

26 अगस्त 2019

- मौजूदा पोषण कार्यक्रम के लिए कठुआ जिला प्रशासन ने एक नई पहल की, जिसमें गरीब परिवारों के कुपोषित बच्चों

की देखभाल के लिए जिला स्तर के अधिकारियों से स्वयं सेवा के रूप में आगे आने को कहा है.

- इस पहल के तहत, जिला अधिकारियों को कम से कम एक बच्चे की पोषण संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रेरित किया गया है. जिससे जिले में कुपोषित बच्चों की समस्या का समाधान करने में मदद मिलेगी. यह स्वास्थ्य और ICDS विभाग के प्रयासों को सफलता दिलाएगी और एक स्वस्थ और बेहतर समाज बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगी.

नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा कराया जाएगा कोर्स

24 अगस्त 2019

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा आयुष्मान भारत के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और राज्य में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को मजबूत करने के लिए 500 मिड-लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स को 6 महीने के ब्रिज प्रोग्राम सर्टिफिकेट का कोर्स इग्नू या कश्मीर विश्वविद्यालय से कराया जाएगा.
- 6 महीने के प्रशिक्षण के समाप्त होने के बाद के बाद इन एमएचएलपी को उप-केंद्र स्तर पर रखा जाएगा. राज्य ने चरणबद्ध तरीके से दिसंबर 2022 तक सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, एनटीएचसी, यूपीएचसी और उप-केंद्रों को एचडब्ल्यूसी के रूप में बदलने का काम किया है.

जम्मू-कश्मीर में स्वास्थ्य सेवा

- 5 अगस्त से 30 अगस्त, 2019 तक श्रीनगर के अस्पतालों में लगभग 5000 बड़ी सर्जरी की गईं. शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सौरा और एसकेआईएमएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, बेमिना के अलावा, सरकारी मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर के सभी अस्पतालों में सर्जरी की गई.
- इस दौरान अस्पतालों की ओपीडी में लगभग 95000 रोगियों और आईपीडी में 10000 से अधिक रोगियों का इलाज हुआ. इन अस्पतालों की प्रयोगशालाओं में नियमित जांच भी संपन्न हुईं.
- यह ध्यान देने वाली बात है कि अस्पतालों में कर्मचारियों की उपस्थिति पर निगरानी रखी गई. इस अवधि के दौरान कर्मचारियों की उपस्थिति लगभग 95 प्रतिशत रही है. कश्मीर में दवाइयों की कमी या स्वास्थ्य संबंधी संकट के बारे में जो भी मीडिया रिपोर्ट है, वो स्पष्ट रूप से निराधार है.

(स्रोत: सूचना और जनसंपर्क विभाग, जम्मू और कश्मीर)

जम्मू-कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह की प्रेस कांफ्रेंस के मुख्य बिंदु

(दिनांक- 23 सितंबर2019)

- नेताओं की रिहाई या फिर घाटी में मोबाइल फोन और इंटरनेट सेवाओं की बहाली के लिए कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं की गई थी.
- करीब 200 लोगों को जेलों में रखा गया क्योंकि वे बार-बार अपराध कर रहे थे, उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए थे.
- ऐसे मामले भी हैं जहां एक पूरा गांव आएगा और एक लड़के के लिए आश्वासन देगा. एक छोटा बच्चा अपने कृत्यों के परिणामों को नहीं समझ सकता है, लेकिन अपराध बार-बार करने वाले अपराधी हैं. आप उन्हें परामर्श देते हैं लेकिन वे खुद में सुधार नहीं करते हैं.
- हम लोगों को अपराध करने की अनुमति नहीं दे सकते, अब अपराधों की संख्या में भी कमी आई है. अधिक से अधिक लोगों को रिहा किया जा रहा है. काफी कम लोग ही नजरबंद रखे गए हैं.
- पुलिस और सुरक्षा बल काफी संयम बरत रहे हैं और लगभग किसी भी मामलों में पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है.
- पहले पैलेट गन के सैकड़ों मामले हुए थे. इस बार केवल दो घटनाएं सामने आई हैं. यह भी देखना चाहिए कि हम कितने दबाव में काम कर रहे हैं. जवान घायल हुए हैं, कुछ को टांके लगे हैं, कुछ के अंग-भंग हुए हैं फिर भी हम न्यूनतम बल प्रयोग कर रहे हैं.
- गिरफ्तार किए गए लोगों में जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मियां कयूम भी शामिल हैं. अपने पिछले रिकॉर्डों के लिए मियां कयूम अच्छी तरह से जाने जाते हैं. जो थोड़ी बहुत देश विरोधी गतिविधियां होती हैं, उनके पीछे मियां कयूम ही होते हैं. उन्होंने अतीत में हुर्रियत के साथ गठबंधन किया और शांति और व्यवस्था बिगाड़ने वाली गतिविधियों में भाग लिया.
- अलगाववादी घर में नजरबंद हैं और अब तक उनका आचरण सभ्य रहा है. "उनके आंदोलन पर प्रतिबंध है और वे घर में नजरबंद हैं. अगर उनमें से कोई भी ऐसी गतिविधि करता है जो गैरकानूनी है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
- स्थिति दिन-ब-दिन बेहतर होती जा रही है और यहां तक कि अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के घर के आसपास की दुकानें भी खुल रही हैं.
- पाकिस्तान की ओर से काफी कोशिश की जा रही थी कि कश्मीर में एलओसी के रास्ते और जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आतंकियों की घुसपैठ कराई जाए.

जम्मू-कश्मीर में पाबंदी में ढील, स्वास्थ्य सेवाएं सामान्य: केंद्र सरकार

(दिनांक- 16 सितंबर 2019)

सरकार द्वारा कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी, तहसीन पूनावाला, अनुराधा भसीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद मोहम्मद अकबर लोन, जेएनयू की शेहला रशीद ने याचिकाएं दर्ज कराईं. इन विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए उपर्युक्त जानकारी दी.

- केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि जम्मू एवं कश्मीर के अधिकतर भागों में पाबंदी में ढील दी गई है और घाटी में दूर-दराज के क्षेत्रों से आने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सामान्य रूप से चल रही हैं.
- सरकार ने शीर्ष न्यायालय को सूचित किया कि लोगों को वेब की सुविधा देने के लिए कश्मीर घाटी में नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर(एनआईसी) में इंटनरेट कियोस्क खोला गया है.
- अटार्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने कहा कि 2016 में जब एक आतंकवादी मारा गया था, तब भी राज्य सरकार ने तीन हफ्तों के लिए इसी तरह का प्रतिबंध लगाया था.
- महाधिवक्ता तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद से न ही एक गोली चलाई गई है और न ही कोई नागरिक मारा गया है.
- उन्होंने अदालत से कहा कि जम्मू एवं कश्मीर अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत लागू कर्फ्यू में कश्मीर के 88 प्रतिशत पुलिस थानों और जम्मू एवं लद्दाख के हिस्सों में 100 प्रतिशत ढील दी गई है.
- घाटी में स्वास्थ्य सुविधाएं सामान्य रूप से चल रही हैं और 15 सितंबर तक 10.52 लाख रोगी इलाज कराने के लिए इस दौरान अस्पताल आए. डॉक्टरों ने इस दौरान सिजेरियन डिलीवरी समेत 10,699 बड़ी सर्जरी भी की.
- घाटी के अस्पतालों में जरूरी दवाइयों और अन्य मेडिकल जरूरतों की कोई कमी नहीं है और यहां 90 प्रतिशत मेडिकल दुकानें खुली हुई हैं.
- केंद्र सरकार द्वारा पीने के पानी, बिजली और खाद्य सामग्रियों, एलपीजी व पेट्रोल समेत जरूरी सामानों की कोई कमी न हो, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है.
- सूचनाओं की सामान्य स्थिति बनी रहे, इसके लिए भी सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत श्रीनगर में लगातार अखबार प्रकाशित हो रहे हैं, सभी स्थानीय दैनिक प्रकाशित हो रहे हैं और राष्ट्रीय दैनिक अखबारों का भी वितरण किया जा रहा है.
- पत्रकारों को मीडिया केंद्रों पर टेलीफोन, इंटरनेट कनेक्शन, कंप्यूटर और प्रिंटर की सुविधा दी जा रही है. प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाने के लिए पत्रकारों को भी पास दिया जा रहा है.

- शिक्षण संस्थाएं, सरकारी कार्यालय और बैंक भी सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं.
- केंद्र ने विशेष बाजार हस्तक्षेप मूल्य योजना को शुरू किया है, इस योजना के तहत इस वर्ष कश्मीर क्षेत्र के सेब उत्पादकों से 12 लाख मीट्रिक टन सेव की खरीद किफायती मूल्यों पर की जाएगी. जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सेब उत्पादकों और किसानों के साथ अन्याय न हो और उन्हें इसका पर्याप्त मूल्य मिले.
- जम्मू एवं कश्मीर की उच्च न्यायालय और निचली अदालतें भी सामान्य रूप से कामकाज कर रही हैं.
- सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा कि बीते 70 वर्षों में जम्मू एवं कश्मीर में कानून-व्यवस्था की स्थिति अत्यंत अस्थिर रही है.
- 1990 के बाद से, आतंकी हिंसा की 71,038 घटनाओं में 41,866 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी.

स्रोत:http://www.samaylive.com/nation-news-in-hindi/406530/restriction-on-jammu-and-kashmir-relaxed-health-services-normal.html

गृह मंत्रालय के प्रवक्ता द्वारा जम्मू कश्मीर के सामान्य होती स्थिति को लेकर किए गए ट्वीट

(दिनांक- 11 सितंबर 2019)

- सभी लैंडलाइन सेवाएं बहाल.
- कुपवाड़ा में पोस्टपेड मोबाइल बहाल.
- स्कूलों का कामकाज, शिक्षक-छात्र की उपस्थिति में सुधार.
- सभी स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह कार्यशील, ओपीडी में 510870 मरीज तथा 15157 मरीजों की सर्जरी हुई.
- सभी बैंक / एटीएम काम कर रहे हैं. सिर्फ जम्मू और कश्मीर बैंक से ही 108 करोड़ रुपए से अधिक राशि जनता द्वारा निकली गई है.
- अन्य बैंक के रिकॉर्ड आने का इंतजार हो रहा है, पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल उत्पादों और खाद्यान्न का स्टॉक मौजूद है.
- 6 अगस्त 2019 से अब तक 42600 से अधिक आपूर्ति वाले ट्रकों की आवाजाही.
- 10 इंटरनेट कियोस्क, प्रत्येक पर 5 टर्मिनल, सभी जिला मुख्यालयों पर विभागीय कामकाज जैसे ई-टेंडरिंग, स्कॉलर शिप फॉर्म जमा करना, नौकरी के लिए आवेदन भी प्राप्त हुए.
- आम जनता और पर्यटकों की सुविधा के लिए 12 अतिरिक्त एयर टिकटिंग काउंटर स्थापित किए गए.

स्रोत:https://twitter.com/PIBHomeAffairs/status/1171753417095561218

जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम की प्रेस कांफ्रेंस के मुख्य बिंदु

(दिनांक- 16 अगस्त 2019)

- जम्मू-कश्मीर को अस्थिर करने के लिए पाकिस्तान की ओर से लगातार कोशिशों के बावजूद कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दौरान किसी की जान नहीं गई और ना ही किसी को गंभीर चोट आई.
- सरकारी कार्यालयों ने कामकाज शुरू कर दिया है और स्कूल खोल दिए गए हैं.
- 22 में से 12 जिले सामान्य रूप से और पांच जिलों में कुछ सीमित प्रतिबंध ही हैं, लेकिन वहां काम काज सुचारू रूप से किए जा रहे हैं. यह सुनिश्चित किया गया है कि कश्मीर को अस्थिर करने के पाकिस्तान के प्रयासों के बावजूद किसी को भी जान-माल का नुकसान न हो और न ही अब तक हुआ है.
- सार्वजनिक परिवहन भी बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं.
- दूरसंचार संबंधी परेशानियों को धीरे-धीरे कम किया जाएगा और चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी.
- लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से राज्य में संभावित आतंकी हमलों के बारे में इनपुट के आधार पर ही घाटी में प्रतिबंध लगाए गए हैं.
- प्रतिबंधों की समीक्षा की जा रही है और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखकर उचित निर्णय किए जाएंगे. सरकार का ध्यान स्थिति को जल्द से जल्द पूरी तरह सामान्य करने पर है. यह भी सुनिश्चित किया गया है कि पहले की तरह आतंकी ताकतों को हिंसा करने का कोई मौका नहीं दिया जाए.
- कुछ दिनों पहले, राज्य के सभी क्षेत्रों के लोगों के बेहतरी और बेहतर प्रशासन तथा त्वरित विकास सुनिश्चित करने के लिए कुछ प्रमुख निर्णय लिए गए थे.
- सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट है कि अलगाववादी भावनाओं को दूर करने के लिए विकास ही सबसे विश्वसनीय उपाय है. अलगाववादी भावनाओं का इस्तेमाल सीमा पार आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया जा रहा था, जिससे राज्य और देश के हजारों निवासियों का जीवन बर्बाद हो गया.
- आतंकवादियों का इरादा भय और आतंक का माहौल बनाना था. वे विकास को रोककर रखना चाह रहे थे, जिससे कि राज्य में युवा पीढ़ी के लोगों को अवसर न मिल सके.
- मीडियाकर्मियों को आवागमन और रिपोर्टिंग की सुविधा के लिए पर्याप्त संख्या में पास जारी किए गए हैं. सैटलाइट

और केबल टीवी नेटवर्क सहित सभी प्रमुख नेटवर्क चालू हैं और समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे हैं.

- ईद से पहले शनिवार और रविवार (10-11 अगस्त) को प्रतिबंधों में लंबे समय तक ढील दी गई ताकि लोग अपनी ईद की खरीदारी कर सकें.
- हज पर जाने वाले और हज से लौटने वाले तीर्थयात्रियों को विशेष रूप से सुविधा प्रदान की गई थी और इस कार्य में लगे सभी लोगों के पास मुफ्त आवाजाही की सुविध भी दी गई.
- सरकार इस बात की सराहना करती है कि यह जम्मू और कश्मीर के लोगों का सहयोग ही है जिससे शांति और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिली.
- घाटी में 76 एक्सचेंजों में लैंडलाइन सेवाओं को बहाल कर दिया गया है. यहां लाल चौक और प्रेस एन्क्लेव के वाणिज्यिक केंद्र में भी सेवाएं जारी रहीं.
- अधिकारियों के अनुसार स्थिति शांतिपूर्ण है और किसी भी अप्रिय घटना की कोई रिपोर्ट नहीं आई. घाटी के 105 पुलिस थाना क्षेत्रों में से 82 थानों के प्रतिबंध को कम कर दिया गया है.
- श्रीनगर प्रशासन ने जिले के स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से कुछ स्मार्ट उपकरणों और मशीनों की खरीद की सुविधा के लिए जिले के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के लिए लगभग 3.5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है.
- क्षेत्र के विकास संबंधी कार्यक्रम (2019-20) के तहत जारी की गई राशि में मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्रीनगर के लिए 2 करोड़ रुपये और मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के लिए 1.5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई.

स्रोत: https://twitter.com/diprjk/status/1162308217981980672?lang=en

कश्मीर की जमीनी हकीकत

एनयूजे(आई)के 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू-कश्मीर का दौरा किया. प्रस्तुत है उनकी रिपोर्ट-

हर्ष वर्धन त्रिपाठी

अनुच्छेद 370 की बेड़ियों से आजादी के बाद कश्मीर कैसा दिख रहा है, इस सवाल का जवाब आम हिन्दुस्तानी की तरह हमारे भी मन में था. जब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से लेकर दिल्ली में बैठे लोग बता रहे हैं कि सबकुछ कश्मीर में बंधक सा है तो आशंका बड़ी हो जाती है और ऐसी ही आशंकाओं से भरे हुए हमने भी तय किया कि श्रीनगर जाकर देखना जरूरी है. वैसे भी अफवाहों पर भरोसा करने वाली हमारी आदत इतनी खराब है कि कौआ कान लेकर गया वाली अफवाह दूसरे को बताने से पहले हम अपना कान छूकर भी नहीं देखना चाहते. इसी अफवाह के तंत्र और मानसिकता को मद्देनजर हमने तय किया कि श्रीनगर जाना है और श्रीनगर जाने के लिए भी हमने 10 सितम्बर का दिन मुकर्रर किया. 2 दिन के दौरे में हमारी कोशिश थी कि कम से कम श्रीनगर की हर सड़क पर हम घूमे और अधिकतर लोगों से मिले. हालांकि, ईमानदारी से कहें तो जिस तरह की खबरें दुनियावी हवा में तैर रहीं थीं, उसमें हम आशंकित थे कि शायद हम अब्दुल्ला, मुफ्ती, अलगाववादियों की तरह श्रीनगर में नजरबंद होकर रह जाएंगे.

आशंकाओं से भरे एनयूजेआई के 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के लिए सुबह 6 बजे जहाज का दृश्य ही आशंकाओं को धाराशायी कर देने वाला था. मोहर्रम के दिन सुबह 6 बजे की उड़ान में करीब 70 प्रतिशत सीटें भरी हुई थीं. जबकि, दिल्ली और चेन्नई से छपने वाले कुछ अखबारों ने मोहर्रम के दिन सिविल कर्फ्यू की बात देश को बताई थी. पत्रकार के तौर पर हमारे लिए यह सच से सामने की शुरुआत थी. श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमारा जहाज नियत समय पर पहुंच गया. पायलट ने हिन्दी-अंग्रेजी में उद्घोष किया कि सैनिक हवाई अड्डा होने से किसी भी तरह की तस्वीर या चलचित्र लेने की इजाजत नहीं है. जहाज से बाहर निकलते ही हमारे साथ के एक सज्जन ने पूछ लिया, घूमने आए हैं. मैंने कहा – हां. मेरे कुछ भी कहने का बिना इंतजार किए उन्होंने कहा, मजे से घूमिए, बंद होने की वजह से दुकानें वगैरह बंद मिलेंगी, लेकिन बाकी सब दुरुस्त है और कश्मीरी पर्यटकों को सिर माथे बैठाकर रखता है. दिल्ली में बड़े पत्रकारों की बातें सुनकर बनी हमारी आशंकाओं को यह दूसरा झटका था. जो सज्जन मिले थे, उनका नाम फारुक था और वो एनजीओ चलाते हैं. दिल्ली-श्रीनगर, आते-जाते रहते हैं. हमने फारुक को यह नहीं बताया कि हम पत्रकार हैं.

हवाई अड्डे से बाहर निकलने के बाद समझ आ गया कि दिल्ली से श्रीनगर की दूरी हवाई जहाज से भले घंटे भर से कुछ ज्यादा की हो, लेकिन असल दूरी बहुत बड़ी है क्योंकि हमें दिल्ली से जो श्रीनगर दिख रहा था और हवाई अड्डे से निकलते ही जो श्रीनगर दिखा, उसमें कोई साम्यता थी ही नहीं. शानदार लहराते तिरंगे के सामने सैकड़ो लोग अपने परिजनों-मित्रों को लेने के लिए उसी तरह से हाथ में तख्ती लिए या बिना तख्ती के खड़े थे जैसे, दिल्ली या देश के दूसरे शहरों के हवाई अड्डे पर खड़े रहते हैं. हवाई अड्डे पर जबरदस्त सुरक्षा का इंतजाम दिखा. हालांकि हम लोग पहले भी श्रीनगर गए थे और इस तरह की सुरक्षा इस हवाई अड्डे पर सामान्य थी. सुबह के 8 बजे श्रीनगर की सड़कों पर उसी तरह से दूध, ब्रेड वाली गाड़ियां घूम रही थीं, जैसे दूसरे शहरों में दिखती हैं.

श्रीनगर पहुंचकर हम लोगों को लगा कि शंकराचार्य पहाड़ी से पूरा श्रीनगर दिखता है तो सबसे पहले शंकराचार्य मंदिर जाना तय हुआ और उसी मंदिर पर हमें कर्नाटक से आया एक बड़ा पर्यटक समूह मिल गया. इस समूह में बचपन के दोस्तों की टोली थी जो व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया के जरिए बाद में मिली थी. सब साथ मिलकर श्रीनगर घूमने आए थे. बिना किसी रोकटोक, भय आशंका के धरती की जन्नत का मजा ले रहे पर्यटकों से हमने पूछा, किसी तरह की कोई दिकक्त तो नहीं हुई. उनका जवाब आया- दुकानें बंद दिख रही हैं, यही एक दिक्कत है. कर्नाटक के पर्यटकों को घुमा रहे उस कश्मीरी मुसलमान की बात ने साफ कर दिया कि दिल्ली से बैठकर श्रीनगर की तस्वीर इतनी खराब क्यों दिखती है. हमारे एक साथी ने श्रीनगर के स्थानीय मुसलमान की बात रिकॉर्ड करनी चाही तो वो बुरी तरह से नाराज हो गया और कहने लगा कि दिल्ली की सरकारों की तरह आप भी हमारा भरोसा तोड़ रहे हो. हम आपको सब बता रहे हैं और आप हमारी बात रिकॉर्ड कर रहे हो. हमने तुरन्त उसके साथ की सारी रिकॉर्डिंग उसके सामने ही डिलीट कर दी और इसीलिए हम उसका नाम भी नहीं लिख रहे, लेकिन घाटी का पहाड़ी और रायसीना पहाड़ी के बीच कुछ इसी तरह का रिश्ता पिछले 70 सालों में बना है और अनुच्छेद 370 उसी रिश्तों की कड़वाहट को और कड़वा बनाने की जादुई संख्या बन गयी थी, जिसका इस्तेमाल अलगाववादी, आतंकवादी और परिवारवादी नेता कर रहे थे.

श्रीनगर में हम छात्र-छात्राओं, सरपंचों, अल्पसंख्यकों और अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से मिले, उनकी बात हम बाद में करेंगे. लेकिन पहले बात हमारे कश्मीर प्रेस क्लब के अनुभव की. प्रतिनिधिमंडल ने घाटी में पत्रकारों की स्थितियों की भी जानकारी ली कि पत्रकार किस स्थिति में काम कर रहे हैं और उनको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इसके बारे में भी अलग-अलग पत्रकारों से बातचीत की. हमारा प्रतिनिधिमंडल कश्मीर प्रेस क्लब भी गया और वहाँ पत्रकारों से मुलाक़ात करके उनसे जाना कि हर रोज़ की ख़बर जुटाने की स्थितियां किस तरह की हैं. घाटी के पत्रकारों को लगातार मुश्किलों से जूझना पड़ रहा है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि हर इस स्थिति में अख़बार लगातार छाप रहे थे और दूसरे माध्यम TV के ज़रिए काम करने वाले लोग भी अपनी-अपनी ख़बरें लगातार लोगों तक पहुँचा रहे थे. कश्मीर प्रेस क्लब में कुछ पत्रकारों ने हमारी आवभगत की, लेकिन जाने किस आशंका से हमारे दिल्ली पहुंचते ही फोन आ गया कि हमारी तस्वीरें न छापें, इसी से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि घाटी से आने वाली हर रिपोर्ट पर कितना दबाव होता है.

एनयूजेआई के प्रतिनिधिमंडल ने श्रीनगर में पत्रकारों के अलावा अलग अलग क्षेत्रों के क़रीब 150 लोगों से मुलाक़ात की. प्रतिनिधिमंडल को एक बड़ी मुश्किल वहाँ के विद्यालयों का बंद होना दिखी. छात्र-छात्राओं का स्पष्ट मानना था कि 370 ख़त्म हो गया है अब उससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन साथ ही वो यह भी कह रहे थे कि 370 के तहत हमें जो अधिकार मिले थे क्या वह अधिकार हमसे छीन लिए गए हैं. छात्र छात्राओं से बातचीत में एक बात यह भी समझ में आयी कि स्थानीय नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कश्मीर के लोगों को 370 के बारे में कई ग़लत धारणाएँ बनवा रखी थी और इसी वजह से उनको

घाटी में ज़्यादातर लोग मानते हैं कि दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार जो भी ऐलान करती है वो ज़मीन पर पूरी तरह से नहीं उतर पा रहे हैं. कश्मीरी शांति में रहना चाहता है और अलगाववादियों ने कश्मीरियों के ठंडे स्वभाव का फ़ायदा उठाया. भावनात्मक तौर पर उनका दोहन किया.

लगता है कि जैसे 370 ख़त्म करके उनका हक़ मारा गया हैं. लेकिन जब प्रतिनिधिमंडल ने उनको बताया कि अब आपको ज़्यादा हक़ मिल रहे हैं तो उसमें से ज़्यादातर लोगों के लिए ये नई बात थी. कमाल की बात यह भी देखें कि छात्र-छात्राओं में केंद्र की सरकार से ज़्यादा ग़ुस्सा मुफ़्ती और अब्दुल्ला परिवार से था. स्थानीय नेताओं पर उनका भरोसा पूरी तरह से टूट चुका है.

एक बात जो बार-बार चिंता में आती है कि अब्दुल्ला और मुफ़्ती परिवार के बंद होने के बाद, नज़रबंद होने के बाद क्या घाटी में राजनीतिक प्रक्रिया पूरी तरह से बंद हो गई है, इसका जवाब जम्मू कश्मीर पंचायतराज मूवमेंट के सदस्यों से मिलकर हासिल हो गया. जम्मू कश्मीर पंचायतराज मूवमेंट के सदस्यों ने बहुत साफ़ कहा कि हमने तब भी अलगाववादियों से लड़ाई लड़ी और उनके ख़िलाफ़ खड़े हुए, हिन्दुस्तान के साथ खड़े हुए, जब मुख्यधारा के राजनीतिक दलों ने पंचायत चुनावों का बहिष्कार कर दिया था. जम्मू-कश्मीर में सरपंचों और पंचों ने लोकतांत्रिक और राजनीतिक प्रक्रिया को ज़्यादा मज़बूत किया है. इसीलिए कश्मीर की जनता के साथ संवाद करने के लिए मुफ़्ती और अब्दुल्ला परिवारों से ज़्यादा घाटी के पंच और सरपंच काम आ सकते हैं.

जम्मू-कश्मीर पंचायत मूवमेंट के प्रतिनिधियों ने कहा कि अभी तक सबसे ज़्यादा जानें पंचों ने गंवायी है. 120 से ज़्यादा पंचों को घाटी में आतंकवादियों ने मार दिया. राजनीतिक कार्यकर्ता ग़ुलाम मोहिउद्दीन सोफ़ी ने पंचों की भूमिका को बढ़ाने की माँग की और कहा कि केंद्र सरकार को हिन्दुस्तान के साथ खड़े रहने वाले पंचों और सरपंचों को भरोसे में लेकर ही कोई काम करना चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार को चिन्हित करना चाहिए कि कौन हिन्दुस्तान के साथ है और कौन राष्ट्रविरोधी. लगभग यही बात सज्जाद हुसैन भी कह रहे थे.

समाज के अलग-अलग क्षेत्रों से मुलाक़ात करने पर दिल्ली से ग़ैर पत्रकारों को एक बात बहुत साफ़ समझ में आयी कि कश्मीर के लोगों को अभी भी प्रशासन का सहयोग नहीं मिल रहा है और कई जगह प्रशासन में बरसों से क़ाबिज़ बैठे लोग केंद्र सरकार की योजनाओं का ग़लत ढंग से क्रियान्वयन कर रहे हैं और कश्मीरियों को डराने की कोशिश कर रहे हैं. इसके लिए ज़रूरी है कि बरसों से एक ही जगह पर जमे बैठे अधिकारियों को हटाया जाए और उनकी जगह नए और काम करने वाले अधिकारियों को लाया जाए. हमने यह बात भी राज्यपाल सत्यपाल मलिक के संज्ञान में लाई थी, जिसका असर रहा कि जम्मू-कश्मीर में बड़े पैमाने पर अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है.

प्रतिनिधिमंडल ने घाटी के अल्पसंख्यकों, सिख परिवारों से भी मुलाक़ात की. अब घाटी के अल्पसंख्यक नए जम्मू कश्मीर में अपनी सुरक्षा चाहते हैं, साथ ही यह भरोसा कि फिर से जम्मू-कश्मीर की जो असल संस्कृति है उसे वापस लाया जा सकेगा. रिटायर्ड इंजीनियर कुलदीप सिंह, एमईएस, बारामुला के ठेकेदार हरजीत सिंह, बड़गाम के विक्रम सिंह और त्राल में रहने वाले दारा सिंह उस प्रतिरक्षक सिखों के प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे थे. उन्होंने बताया कि घाटी में अभी भी क़रीब अस्सी हज़ार सिख हैं. राज्य सरकारों ने अल्पसंख्यकों के हितों का कोई ख्याल नहीं रखा. इसका एक उदाहरण बताते हुए सिखों के प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि फटे कदल गुरुद्वारे की ज़मीन 2003 से पहले ही सरकार ने अधिग्रहित कर ली थी. अभी सिखों की स्थिति भी कश्मीरी पंडितों जैसी हो रही है क्योंकि किसी तरह के मौकों में हिस्सेदारी न होने से उनकी नौजवान पीढ़ी बाहर जा रही है. सिख कश्मीर को मिलने वाले पैकेज में हिस्सा मांग रहे हैं. सिखों का मानना है कि 370 हटने के बाद लगता है जैसे भारत सरकार का राज आ गया है.

एनयूजेआई प्रतिनिधिमंडल को एक बात बहुत साफ़ समझ में आयी कि कश्मीर घाटी के लोगों को 370 के बारे में

सही से बताने का काम नहीं किया गया और उसको भावनात्मक मुद्दा बनाकर भुनाया गया. अच्छी बात यह है कि अब उसमें से ज़्यादातर लोगों को यह बात समझ में आ रही है. घाटी का नौजवान 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर के राज्य के विकास और आगे बढ़ने की प्रक्रिया में शामिल होना चाहता है और वो चाहता है कि जल्द से जल्द घाटी का माहौल सुधरे. यहाँ नए उद्योग आएं, शिक्षण संस्थान आएं, विश्वविद्यालय खोले जाएं और घाटी का माहौल फिर से बेहतर हो जिससे उसके हिस्से में भी नए-नए मौक़े आएं. घाटी का नौजवान और वहाँ के लोग एक बात ज़रूर चाहते हैं कि कम से कम केंद्र सरकार की तरफ़ से ज़मीनों को लेकर और उनके अधिकारों को लेकर एक स्पष्टता आ जाए.

मोहर्रम के दूसरे दिन यानि 11 सितम्बर को हम श्रीनगर के उस इलाके में भी गए, जिसे डाउनटाउन के नाम से जाना जाता है. दिल्ली से श्रीनगर खबरों के मामले में कितना दूर हो जाता है, इसका अन्दाजा हमें श्रीनगर के शिया मुसलमानों से बात करके पता चली. सोचिए कि 14 प्रतिशत से ज्यादा आबादी वाले शिया मुसलमानों का राज्य में कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है. साजिशन राज्य की सरकारों ने शिया मुसलमानों को हर जगह से बाहर कर दिया, यहां तक कि वक्फ बोर्ड से भी. शिया अपना अलग मुस्लिम औकाफ ट्रस्ट मांग रहे हैं. शिया मुसलमानों के प्रतिनिधियों ने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई कि कैसे उनकी करीने से की जाने वाली कारीगरी, मशहूर नक्काशी, पेपरमाशी को बर्बाद कर दिया गया. करोड़ों के निर्यात वाली कला को बर्बाद कर दिया गया. डल लेक पर शिया मुसलमानों को हाउसबोट तक नहीं हैं. यह सारी बातें शायद ही कभी दिल्ली के मुख्यधारा के मीडिया में आती हों. मोहर्रम के दूसरे दिन हम शहर के बीचोबीच होते हुए डाउनटाउन गए थे. पूरे रास्ते लगभग वैसा ही ट्रैफिक था, जैसा हमें देश के दूसरे शहरों में झेलना पड़ता था. रैनावाड़ी में तो हमारी गाड़ी जाम की वजह से रुकी भी और इन सबका हमने वीडियो भी बनाया. हमें यह भी लगा कि श्रीनगर को एक बड़े पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित करके सरकार को नई राजधानी बनाने पर भी सोचना चाहिए. चेनाब पुल से जुड़ने के बाद काडीगुंड जैसी जगह भी नई राजधानी के लिए उपयुक्त हो सकती है. हमारे रास्ते दुकानें लगभग बंद थीं, लेकिन दवा की और जनरल स्टोर की खुली दुकानें उम्मीद जगा रहीं थीं. सारे एटीएम खुले थे और उनमें पैसे भी थे. सड़क किनारे के बाजार दूसरे शहरों की तरह ही मजे से चल रहे थे. हर दूसरे चौराहे पर टेलीफोन बूथ की सुविधा थी और बंद के बीच कश्मीरियों ने कारोबार का नया तरीका निकाल लिया था. बंद शटर पर बैठे नौजवानों का जरूरत बताने पर शटर उठाकर सामान देकर शटर फिर से बंद कर देना. ऐसे ही एक शटर बंद ल्हासा रेस्टोरेंट में हमने शानदार भोजन किया. जब हम रेस्टोरेंट में थे तो करीब 30-40 लोग परिवारों के साथ खाना खा रहे थे.

घाटी में ज़्यादातर लोग मानते हैं कि दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार जो भी ऐलान करती है वो ज़मीन पर पूरी तरह से नहीं उतर पा रहे हैं. कश्मीरी शांति में रहना चाहता है और अलगाववादियों ने कश्मीरियों के ठंडे स्वभाव का फ़ायदा उठाया. भावनात्मक तौर पर उनका दोहन किया. साथ ही सरकारी अमला भी हालात नहीं सुधरने देना चाहता. 370 चला गया, लेकिन 70 साल में जो लोगों के ज़ेहन में डाला गया है उसे ख़त्म करने के लिए बहुत बड़े ज़मीनी अभियान चलाने की ज़रूरत है. कुल मिलाकर प्रतिनिधिमंडल को यह बात साफ़ समझ में आयी कि जनजीवन सामान्य होने की ओर है और ज़्यादातर लोग 370 से आगे बढ़ चुके हैं.

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार हैं. ये उनके निजी विचार हैं.)

जम्मू-कश्मीर के लोग शांति चाहते हैं

अशोक श्रीवास्तव

जम्मू-कश्मीर को शेष भारत से अलग करने वाली, कश्मीर के लोगों के मन में भारत से अलगाव का भाव पैदा करने वाली धारा 370 अब इतिहास बन चुकी है. केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने अचानक 05 अगस्त 2019 की सुबह संसद में ऐलान करके जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 370 और 35 ए से आज़ाद कर दिया था. हालांकि मेरे जैसे बहुत से पत्रकार जो खुद को जम्मू-कश्मीर मामलों का जानकार मानते हैं उन्हें भी लगता था कि 370 को हटाना लगभग असंभव जैसा है. कश्मीर के बहुत से नेता एक बार नहीं बार-बार यह धमकी दे चुके थे कि 35 ए और 370 को हटाया तो देश जल जाएगा, कश्मीर में कोई भारत का झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा..वगैरह, वगैरह ! लेकिन जब 5 और 6 अगस्त को संसद के दोनों सदनों ने मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले पर मुहर लगा दी तब न तो संसद में शोले भड़के और न ही देश में आग लगी. मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने जिस सतर्कता, सावधानी और बुद्धिमत्ता से इस काम को अंजाम दिया था उसने सरकार के विरोधियों को कुछ करने का मौका ही नहीं दिया. यहाँ तक कि जो लोग कश्मीर जलाने की धमकियां दे थे वे भी कैंडल लाइट मार्च निकाल कर बुझ गए.

5 अगस्त को गृहमंत्री अमित शाह ने जब राज्यसभा में यह ऐलान किया तो सहसा मुझे लगभग 10 साल पहले सोनावरी, कश्मीर में अब्दुल अंद्राबी से हुई मुलाकात याद आ गई. 2008 में जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों की रिपोर्टिंग के दौरान एक दिन बांडीपुरा से श्रीनगर लौटते हुए मेरे स्थानीय ड्राइवर ने मुझे कहा कि रास्ते में उसके एक रिश्तेदार का घर पड़ता है, यदि मुझे आपत्ति न हो तो कुछ देर के लिए उनके घर रुकते हुए चाय पीकर चलें ? मेरा मानना है कि रिपोर्टिंग के दौरान एक रिपोर्टर जितने ज़्यादा स्थानीय लोगों से मिलेगा ज़मीनी हालात का उसे उतना ज्यादा अंदाज़ा होगा. मुझे इस निमंत्रण में अपना ही फायदा दिखा इसलिए मैं तुरंत तैयार हो गया.

पके बालों वाले 65 साल के अब्दुल अंद्राबी के घर हम लोगों ने कहवा पिया और कश्मीर पर, कश्मीर की राजनीति पर बात करने लगे. फिर बात आतंकवाद और अलगाववाद की भी होने लगी. अचानक अब्दुल अंद्राबी ने शिकायती लहज़े में कहा, " साहब आप लोगों ने हम कश्मीरियों को कहीं का नहीं छोड़ा. आपने हमें धारा 370 पर लटका दिया है आप न तो हमें पाकिस्तान में मिलने देते हैं न हिन्दुस्तान में हमें मिलाते हैं, बीच में लटका रखा है हमें." एक कश्मीरी के मुंह से 370 पर ये शिकायत सुनकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई. मैंने पूछा कि आप क्या चाहते हो ? उसने कहा "या तो हमें पाकिस्तान से मिलने के लिए छोड़ दो या 370 हटा कर जम्मू-कश्मीर को पूरी तरह से भारत का हिस्सा बना लो, पर खुदा के लिए ये दीवार हटाओ. मैंने अब्दुल अंद्राबी से सहानुभूति और सहमति तो जताई पर मैं जानता था कि जो वो कुछ कह रहा है , उनमें से कुछ भी नहीं हो सकता !

पर अगस्त 2019 में मैं गलत साबित हो गया जब संसद ने 370 के विभाजनकारी प्रावधान हमेशा के लिए हटा दिए, पर गलत साबित होकर भी मैं खुश था, बहुत खुश और शायद अब्दुल अंद्राबी भी अब खुश होंगे.

एक रिपोर्टर के तौर पर मैं 1993 से कश्मीर की रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, इसलिए इस मौके को भला मैं कैसे छोड़ सकता

था. 7 अगस्त की सुबह पहली ही फ्लाइट पकड़ कर मैं श्रीनगर पहुंच गया. फ्लाइट पकड़ने के लिए जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तब मन में तमाम तरह के ख्याल आ रहे थे कि कश्मीर के लोग 370 हटाने के फैसले पर क्या सोच रहे होंगे ? क्या वास्तव में कश्मीर जल रहा है या जलने लगेगा ? ये सब सोच ही रहा था कि एयरपोर्ट पर एक कश्मीरी युवक से बातचीत होने लगी. दिल्ली की एक आई टी फर्म में काम करने वाला ये कश्मीरी युवक ईद की छुट्टियों पर घर जा रहा था. जब मैंने उनसे पूछा कि 370 हटने पर क्या होगा तो उन्होंने कहा , "हम लोग कश्मीर में बुरे से बुरा दौर देख चुके हैं. अब और क्या बुरा होगा ? दुआ करते हैं कि इस फैसले से कश्मीर के लिए कुछ अच्छा हो जाए !"

उस कश्मीरी युवक के इस बयान ने मेरे मन में उम्मीद की किरण जगा दी, पर जब श्रीनगर हवाई अड्डे से निकल कर ज़ीरो ब्रिज के पास स्थित अपने आफिस पहुंचा तो पूरे रास्ते सन्नाटा पसरा पड़ा था. तमाम तरह की आशंकाओं ने फिर से मुझे घेरना शुरू कर दिया. दूरदर्शन के श्रीनगर दफ़्तर में उपस्थिति कम थी, लेकिन जो भी कश्मीरी मुझे वहां मिले उनमें से किसी के चेहरे पर गम या गुस्से का कोई भाव नहीं दिखाई दिया, लेकिन क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वो तो दूरदर्शन के कर्मचारी हैं ? इस सवाल का जवाब मैं जल्दी से जल्दी ढूंढ लेना चाहता था और इसके लिए ज़रूरी था कि मैं श्रीनगर शहर में निकलूं और स्थानीय लोगों से मिलूं. इसलिये जल्दी से दोपहर का भोजन करके मैं अपनी कैमरा टीम के साथ श्रीनगर शहर में निकल गया. लाल चौक, हब्बाकदल में सन्नाटा था फिर डल गेट की तरफ निकला, वहां कुछ फ़ल वाले सड़क किनारे खड़े थे और कुछ लोग खरीदारी कर रहे थे मैंने वहीं से रिपोर्टिंग की और जैसा आमतौर पर होता है जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था तब वहां कई लोग रुक कर देखने लगे, सुनने लगे कि मैं क्या कह रहा हूँ. कुछ लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की पर उस दिन न तो किसी ने कुछ बात की न मुझसे कुछ कहा. ज़्यादातर लोगों के हाव-भाव से मुझे लगा कि उन्हें यह विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हो गया है. जिस वक्त मुझे यह लगा कि श्रीनगर में कोई भी 370 के मुद्दे पर ऑन कैमरा बोलने को तैयार नहीं होगा उसी वक्त दो कश्मीरी महिलाओं ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से आये हैं. मैंने कहा -दिल्ली से और उनसे बात करनी शुरू की. मैंने यूँ ही कहा कि आपका कश्मीर बहुत खूबसूरत है, तो उनमें से एक ने कहा कि हाँ बीते दो दिन से और खूबसूरत हो गया है. ये सुनकर मेरे कान खड़े हो गए. उस महिला का इशारा 370 हटने के फैसले की तरफ था. मैंने झट से पूछा कि आप कैमरे पर बात करेंगी. उसने कहा ज़रूर करूंगी, लेकिन मेरी पहचान छुपा कर रखियेगा क्योंकि यहां बहुत बदमाश लोग हैं, पत्थरबाज हैं, आतंकी हैं सब टारगेट करना शुरू कर देंगे. मैं समझ गया, कश्मीर का सच यही है . बीते 30 सालों में दिल्ली में बैठे हुक्मरानों ने भारत को गालियाँ देने वालों, तिरंगा जलाने वालों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया है, सुरक्षा दी है उनके बच्चों को सरकारी नौकरियां दी हैं और भारत के

370 हटने के बाद मैं 10 दिन श्रीनगर में था. सिर्फ श्रीनगर ही नहीं उत्तर कश्मीर में कुपवाड़ा और दक्षिण कश्मीर में अनंतनाग तक जाकर मैंने रोज़ रिपोर्टिंग की. जम्मू और लद्दाख के लोग नाच-गाकर खुशी मनाना चाहते हैं, पर ज़्यादातर कश्मीरियों को इसके हटने से कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा. कुपवाड़ा, हंदवाड़ा जैसे इलाकों में रहने वाले ग्रामीण कश्मीरियों को तो पता ही नहीं था कि 370 क्या बला है. इसके अलावा मेरे बार-बार पूछने पर भी ज़्यादातर कश्मीरी यह नहीं बता सके कि 370 था तो उसका उन्हें क्या फायदा मिल रहा था और अब हट गया है, तो इसका उन्हें क्या नुकसान होगा.

पक्ष में बोलने वालों को हमेशा नज़रंदाज़ किया है. इसलिए ऐसी आवाज़ें वहां या तो खामोश रहती हैं या बोलती हैं तो अपनी पहचान छुपा कर. मैंने भी उस महिला की पहचान छुपा कर खूब बात की और उस कश्मीरी महिला ने खुल कर 370 हटाने के फैसले पर खुशी जताई.

कुछ देर बाद डल गेट से मैंने सेब खरीदे और फिर शहर में घूमता हुआ वापस आ गया और दिल्ली के लिए अपनी स्टोरी फ़ाइल कर दी.

इतने सालों से मैं लगातार कश्मीर आता जाता रहा हूँ, इसलिए वहां मेरे कई दोस्त बन गए हैं. उनमें से कई ऐसे हैं जो जान जोखिम में डालकर भी हमेशा अलगाववादियों और आतंकवादियों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं. मैं उनसे मिलकर उनके मन की बात जानना चाहता था, लेकिन मिलता कैसे घर का पता मेरे पास नहीं था और मोबाइल फोन, लैंडलाइन सभी बन्द कर दिए गए थे. मुझे एहसास हुआ कि फोन बंद होने से स्थानीय लोग भी कितनी तकलीफ में होंगे, लेकिन अगर फोन चालू होते तो क्या कश्मीर में इतनी शांति होती ? हरगिज़ नहीं.

दरसअल कश्मीर में मोबाइल फोन, इंटरनेट , व्हाट्सएप अलगाववादियों और आतंकवादियों के सबसे बड़े हथियार हैं. जब भी कश्मीर में दंगा भड़काना हो, पत्थरबाज़ी करवानी हो तो अलगाववादियों और स्टोन पेल्टर्स के नेता पहले सोशल मीडिया और फोन पर मैसेज के ज़रिए अफवाहें फैलाते हैं. जैसे, फलां जगह सेना ने सड़क पर क्रिकेट खेलते कश्मीरी युवक को गोली मार दी है, या फलां जगह पर पुलिस ने घर में घुस कर एक कश्मीरी लड़के को उठा लिया है. फिर दूसरा संदेश सर्कुलेट किया जाता है कि पुलिस या सेना की इस कार्रवाई के विरोध में फलां जगह पर इतने बजे सब लोग इकट्ठा होकर विरोध करेंगे और बस विरोध के लिए निर्धारित उस जगह पर उतने बजे पथराव शुरू हो जाती है. जिस वक्त ये पत्थरबाजी हो रही होती है, उस समय कुछ लोग मोबाइल पर इसकी वीडियो बनाने के काम में लगे होते हैं और देखते ही देखते पत्थरबाजी की ये क्लिपिंग्स कश्मीर के कोने-कोने से लेकर पाकिस्तान-अमेरिका-ब्रिटेन के चुनिंदा पत्रकारों, मानवाधिकारवादियों, बुद्धिजीवियों तक पहुंच जाती है और इस तरह कश्मीर जलने लगता है. दुर्भाग्य से इस पत्थरबाजी के निशाने पर आए सुरक्षा बलों के जवानों के हाथों पैलेट गन या रायफल चल गई और कोई कश्मीरी युवक उसकी चपेट में आ गया तो ये तय है कि जो आग लगेगी उसे कई हफ्तों तक बुझाना नामुमकिन है. भारत और दुनिया के कुछ कथित बुद्धिजीवियों, पत्रकारों को ये मसाला मिल जाएगा कि भारत कश्मीर में मानवाधिकारों का हनन कर रहा है. कश्मीर में यही सिलसिला बरसों से चल रहा है. इसलिए 370 को हटाने का ऐलान करने और इस फैसले को लागू करने से पहले केंद्र सरकार ने टेलीफोन लाइन्स बन्द करने का कठोर फैसला लिया. जम्मू-कश्मीर के आम लोगों को इससे तकलीफ ज़रूर हुई पर ये तकलीफ किसी की जान जाने से ज़्यादा नहीं. केंद्र सरकार के एहतियातन कदमों का ही असर है कि बीते लगभग 40 दिनों में सुरक्षाबलों को आतंक और अलगाववाद से पीड़ित घाटी में एक गोली नहीं चलानी पड़ी. दूसरी तरफ बौखलाए आतंकियों और दंगाईयों ने 4 कश्मीरियों की हत्या कर दी. हिजबुल मुजाहिद्दीन के

मानवाधिकारों के नाम पर, कश्मीर के नाम पर भारत ही नहीं, दुनिया भर में एमेनेस्टी जैसे कितने ही संगठनों और व्यक्तियों की दुकानें चल रही हैं. 370 हटते ही इन "दुकानों" पर ताला लगने की नौबत आ गई है इसलिए इन सभी लोगों ने इन दिनों कश्मीर के नाम पर ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना और फेक न्यूज़ फैलाना शुरू कर दिया है.

आतंकियों ने 65 साल के गुलाम मोहम्मद मीर की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वो अपनी रोज़ी रोटी चलाने के लिए दुकान खोलना चाहते थे. इसी तरह से आतंकियों ने सेब के उत्पादन से जुड़े एक व्यापारी के घर में घुस कर 4 साल की बच्ची सहित 4 लोगों को तब गोली मार दी, जब उस व्यापारी ने आतंकियों की धमकियों के बावजूद सेब की खेप को बेचने की कोशिश की.

दिल्ली की एक आई टी फर्म में काम करने वाला ये कश्मीरी युवक ईद की छुट्टियों पर घर जा रहा था. जब मैंने उनसे पूछा कि 370 हटने पर क्या होगा तो उन्होंने कहा , "हम लोग कश्मीर में बुरे से बुरा दौर देख चुके हैं. अब और क्या बुरा होगा? दुआ करते हैं कि इस फैसले से कश्मीर के लिए कुछ अच्छा हो जाए !" उस कश्मीरी युवक के इस बयान ने मेरे मन में उम्मीद की किरण जगा दी.

विडम्बना देखिए कि मानवाधिकारों के जो कथित समर्थक मोबाइल फोन बंद होने पर छातियाँ पीट रहे हैं, वो तब खामोश हो जाते हैं जब आतंकी दुकान खोलने पर 65 साल के दुकानदार को और सेब बेचने पर व्यापारी की 4 साल की बच्ची को गोली मार देते हैं. बहरहाल, मानवाधिकारों के नाम पर, कश्मीर के नाम पर भारत ही नहीं, दुनिया भर में एमेनेस्टी जैसे कितने ही संगठनों और व्यक्तियों की दुकानें चल रही हैं. 370 हटते ही इन "दुकानों" पर ताला लगने की नौबत आ गई है इसलिए इन सभी लोगों ने इन दिनों कश्मीर के नाम पर ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना और फेक न्यूज़ फैलाना शुरू कर दिया है. कभी कश्मीर में अत्याचार के नाम पर गाज़ा, ईरान, इराक युद्ध की तो कभी कश्मीर की ही पुरानी तस्वीरें, वीडियोज मीडिया और सोशल मीडिया में वायरल किये जा रहे हैं, तो कभी यह झूठ फैलाया जा रहा है कि कश्मीर में अखबार नहीं छप रहे, पत्रकारों को काम नहीं करने दिया जा रहा, लोगों को दवाईयां नहीं मिल रहीं वगैरह, वगैरह.

370 हटने के बाद मैं 10 दिन श्रीनगर में था. सिर्फ श्रीनगर ही नहीं उत्तर कश्मीर में कुपवाड़ा और दक्षिण कश्मीर में अनंतनाग तक जाकर मैंने रोज़ रिपोर्टिंग की. जम्मू और लद्दाख के लोग नाच-गाकर खुशी मनाना चाहते हैं, पर ज़्यादातर कश्मीरियों को इसके हटने से कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा. कुपवाड़ा, हंदवाड़ा जैसे इलाकों में रहने वाले ग्रामीण कश्मीरियों को तो पता ही नहीं था कि 370 क्या बला है. इसके अलावा मेरे बार-बार पूछने पर भी ज़्यादातर कश्मीरी यह नहीं बता सके कि 370 था तो उसका उन्हें क्या फायदा मिल रहा था और अब हट गया है, तो इसका उन्हें क्या नुकसान होगा. जिन कश्मीरी युवाओं से मैं 10 दिन में मिला उनमें से किसी को पता ही नहीं था कि 370 है क्या. कुछ कट्टरपंथी युवाओं ने कहा कि उनके बड़े-बुजुर्गों ने उन्हें बताया है कि 370 से उनकी अलग पहचान है और वो अपनी अलग पहचान बनाए रखना चाहते हैं. दुर्भाग्य से इस "अलग पहचान" के मायने कश्मीरी होना नहीं बल्कि मुस्लिम होना है. 370 हटने के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन कट्टरपंथी युवाओं को ही मुख्यधारा में शामिल करना है. 2 -3 दशकों से इन युवाओं के मन में मज़हब के नाम पर अलगाववाद और आतंकवाद का ज़हर भरा गया है. केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर का तेज़ विकास करके इन भटके हुए युवाओं के मन से ज़हर निकाल पाएगी ? आने वाले महीनों और सालों में सबसे बड़ा सवाल यही होगा.

(लेखक वरिष्ठ टीवी पत्रकार एवं स्तंभकार हैं. ये लेखक के निजी विचार हैं.)

जम्मू एवं कश्मीरः नई पारी की शुरुआत

सन्नी कुमार

इतिहास में ऐसी अनेक घटनाएं घटित हुई हैं जो अपने स्वरूप में बहुत सामयिक थीं किंतु उनका प्रभाव ऐतिहासिक हुआ. उदाहरण के लिए हम बास्तिल किले के पतन को ले सकते हैं. वैसे तो इस जेल को गिराकर गिनती के कुछ कैदियों को छुड़ाया गया था किंतु इसे 'राजसत्ता का इकबाल ढहने' की व्यंजना के रूप में लिया गया और एक तरह से यह घटना फ्रांसीसी क्रांति का प्रस्थान बिंदु बना. इससे और पहले की घटना लें तो एक मामूली सी रूबीकान नदी पार करने वाली घटना इतनी ऐतिहासिक हो गई कि ऐसा करने वाले 'जूलियस सीजर' के नाम से हमसब परिचित हैं. ऐसी घटनाएं अपने स्वरूप में भले ही छोटी होती हैं किंतु महत्व में इतनी विस्तृत होती हैं कि आने वाले समय का भाग्य इससे तय हो जाता है. वर्तमान में देखें तो भारतीय संघ के जम्मू एवं कश्मीर राज्य को अनुच्छेद -370 के तहत प्राप्त बेशुमार विशेषाधिकारों को समाप्त किया जाना भी एक ऐसी ही घटना है. भले ही यह एक राज्य की सीमा में सिमटा निर्णय लग रहा हो किंतु इसका प्रभाव देशव्यापी और कुछ कुछ वैश्विक भी है. बहरहाल, जब से संसद में इसके समाप्त होने की घोषणा हुई है और इसे एक अतीत से मुक्ति मिली है तबसे जम्मू एवं कश्मीर राज्य के भविष्य के बारे में चर्चा चल रही है कि अभी कि शांति सिर्फ तात्कालिक सैन्य दबाव से ऊपजी है या इसका स्वरूप चिरस्थायी है?

अगर हम जम्मू एवं कश्मीर में शांति की बात करें और इसके स्थायित्व का कयास लगाएं तो हमें समग्रता की बजाय इसे क्षेत्रगत रूप में देखना होगा. अर्थात् जम्मू-कश्मीर घाटी और लद्दाख क्षेत्र को अलग अलग आधार बनाकर हमें विश्लेषण करना होगा क्योंकि अब तक भले ही ये एक साझे कानून से शासित हो रहे थे किंतु हर क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति भिन्न भिन्न रही है. यही वजह है कि अनुच्छेद -370 के प्रभावशून्य होने की प्रतिक्रिया भी अलग अलग ही रही है. सबसे पहले अगर लद्दाख की बात करें तो यह क्षेत्र हमेशा से इस बात को उठाता रहा है कि अनुच्छेद -370 इनके लिए भेदभाव का एक कारक रहा है क्योंकि इसके तहत प्राप्त होने वाली तमाम संसाधनों को घाटी में ही खपा दिया जाता था. ऐसे में जब यह प्रावधान हट गया और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान कर दिया गया तो यह लद्दाख के मांग की ही पूर्ति है. इसलिए स्वाभाविक ही है कि इस क्षेत्र में निर्णय का स्वागत हो रहा है. इस प्रकार इस क्षेत्र की शांति चिरस्थायी किस्म की है क्योंकि यह उनके अनुकूल है. दूसरे क्षेत्र जम्मू की बात करें तो यहाँ भी इस परिवर्तन का स्वागत ही किया गया क्योंकि अनुच्छेद -370 से प्राप्त विशेषाधिकारों का उपयोग घाटी के कुछ परिवारों तक ही सीमित रहा है तथा विकास की परियोजनाओं पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया. फिर यह क्षेत्र हमेशा से भारतीय संघ के साथ निकटता साझा करता रहा है तथा अलगाववादी तत्व यहाँ प्रभावी नहीं हैं. इसलिए यहाँ की शांति भी स्वाभाविक और स्थायी है. अब बात है घाटी की जो सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था में है क्योंकि यहां आतंकवाद और अलगाववाद सर्वाधिक प्रभावी है, इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान यहाँ भारत विरोधी भावना को बढ़ावा देता है, विशेषाधिकार से लाभ उठा रहे कुछ राजनीतिक घरानों की राजनीति भी इसी क्षेत्र में केंद्रित है. फिलहाल यहाँ भी शांति है पर कुछ लोग इस शांति के बने रहने पर संशय व्यक्त कर रहे हैं.

घाटी को केंद्र मानकर भी अगर चला जाए तो 5 अगस्त से लेकर अबतक वहाँ कोई बड़ा और हिंसक विद्रोह अब तक देखने को नहीं मिला है. वहाँ के आमजनमानस में निर्णय को लेकर बहुत खुशी नहीं तो कम से कम स्वीकार तो है ही अन्यथा इतनी स्वाभाविक शांति इतने दिन तक कायम न रह पाती. दूसरी तरफ सरकार भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि वहाँ की जनता के मन में यह विश्वास कायम हो जाए कि यह निर्णय उनके भले के लिए लिया गया है. जम्मू एवं कश्मीर को लेकर विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा, नौकरियों का आश्वासन तथा नेफेड के माध्यम से स्थानीय सेब उत्पादकों से सेब की खरीददारी तथा तमाम आधारभूत आवश्यकताओं की लगातार आपूर्ति के माध्यम से सरकार स्थिति सामान्य करने में जुटी है. इसका असर भी दिख रहा है. किंतु कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसी शांति इसलिए है कि वहाँ के नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है और वहाँ कड़ा सैन्य पहरा है. सूक्ष्मता से इन दोनों कारणों की पड़ताल करें तो क्या कश्मीर में कभी ऐसा रहा है कि वहाँ सैन्य पहरा न हो? और क्या केवल सैन्य पहरा वहाँ शांति स्थापित करने में सक्षम है. अगर जनता के हरेक वर्ग में निर्णय के विरोध का समान भाव होता तो कोई भी सैन्य पहरा उसे उभरने से नहीं रोक सकता था. अभी ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि सैन्य दबाव के कारण अलगाववादी खुलकर सामने नहीं आ पा रहे और जनता को दिग्भ्रमित करने में सफल नहीं हो पा रहे. इसलिए हमें इस सैन्य उपस्थिति का औचित्य समझना चाहिए. अगर कुछ समय का दर्द लंबी और पीड़ादायी रोग से मुक्ति दिलाए तो उसे सहन कर लेने में ही भलाई है. सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत संभावना है कि इस कठिन समय के गुजर जाने के बाद सैनिकों के साथ जीने की आदी कश्मीरी जनता को इससे मुक्ति मिल जाए और वहाँ सबकुछ सामान्य हो जाए.

370 से प्राप्त विशेषाधिकारों का उपयोग घाटी के कुछ परिवारों तक ही सीमित रहा है तथा विकास की परियोजनाओं पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया.

इसके अतिरिक्त जहाँ तक शांति और नेताओं को नजरबंद करने के संबंध का सवाल है तो क्या ये मान लिया जाए कि ये नेता अलगाववाद को बढ़ावा देते हैं और अनुच्छेद -370 का इस्तेमाल ब्लैकमेल करने में करते आए हैं?होना तो यह चाहिए था कि संकीर्ण राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर सब कश्मीर में शांति का प्रयास करते किंतु दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं रहा है. विपक्ष तो यहाँ तक कह रहा है कि इसके 'गंभीर दुष्परिणाम' होंगे और वहाँ की शांति क्षणभंगुर है. वो ऐसा क्यों कह रहे इसे समझना होगा. दरअसल, कश्मीर में शांति बहाली इनके राजनीतिक हितों के विरुद्ध है. इन्होंने अनुच्छेद -370 को प्रभावशून्य करने का विरोध इसी आधार पर किया था कि इसमें वहाँ के जनता की सहमति नहीं है और अगर अब जब वहाँ कोई विद्रोह नहीं हो रहा तो इससे लग रहा है कि वहाँ के लोगों में निर्णय के प्रति स्वीकार्यता बढ़ रही है. यह स्थिति इनके राजनीतिक हितों के ठीक विपरीत है. इसलिए यह कहना अधिक उचित होगा कि विपक्ष की चिंता नहीं इच्छा है कि कश्मीर में उथल पुथल हो ताकि इनके विरोध का औचित्य सिद्ध सके. अंत में यही कि किसी क्षेत्र की जनता यह नहीं चाहती कि वो कुछ राजनीतिक घरानों की क्षुधापूर्ति का माध्यम बनी रहे. निश्चित ही कश्मीर की जनता भी यह नहीं चाहती. बस आवश्यकता है कि उनतक यह बात प्रभावी ढंग से पहुंचाई जाए. यह तथ्य कि अलगाववादी तत्वों द्वारा कश्मीरी जनता का सामान्य जनजीवन में न लौटने के लिए धमकाना यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि वो कश्मीर में शांति चाहता है या अशांति.

(लेखक इतिहास के अध्येता हैं. ये लेखक के निजी विचार है.)

अनुच्छेद-370: विश्व पटल पर अलग-थलग पाकिस्तान

▸ पीयूष द्विवेदी

बीते पांच अगस्त को भारत सरकार ने संसद की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए जम्मू-कश्मीर को विशेषाधिकार प्रदान करने वाले अनुच्छेद-370 के अधिकांश प्रावधानों को समाप्त कर दिया. साथ ही, इस सूबे को दो हिस्सों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करते हुए केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया. भारत सरकार के इस कदम के बाद से ही पाकिस्तान एक अलग ही बौखलाहट में है. अब चूंकि वो इस मसले में भारत को रोक पाने के लिए सीधे तौर पर कुछ नहीं कर सकता, इसलिए अपनी बौखलाहट प्रकट करने के लिए कभी परमाणु युद्ध की धमकी देने, कभी एयरबेस बंद करने तो कभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अनुच्छेद-370 ख़त्म किए जाने का मुद्दा उठाने में लगा है. हालांकि ये मामला लेकर वो जहां भी जा रहा है, वहां केवल उसकी भद्द ही पिट रही है और हर वैश्विक मंच पर विश्व बिरादरी का समर्थन भारत के पक्ष में ही देखने को मिल रहा है.

अनुच्छेद-370 ख़त्म होने के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखकर इस मसले पर बैठक की मांग की जिसका चीन द्वारा समर्थन किया. बैठक तो हुई लेकिन उस बैठक में जो हुआ, वो पाकिस्तान और उसके एकमात्र समर्थक चीन की बुरी तरह से किरकिरी कराने वाला था. इसमें सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों में एक चीन के सिवाय किसी देश का साथ पाकिस्तान को नहीं मिला, जबकि भारत के पक्ष में रूस का तो स्पष्ट समर्थन था ही, अमेरिका, फ़्रांस और ब्रिटेन ने भी भारत के कदम का विरोध नहीं किया. बैठक में शामिल दस अस्थायी सदस्यों में से भी किसीने भारत के विरुद्ध पाकिस्तान का साथ नहीं दिया. इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र के जरिये जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाने के भारत के कदम का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की जो पाकिस्तान की मंशा थी, वो पूरी नहीं हो सकी.

इस महीने की शुरुआत में मालदीव की संसद में साउथ एशियन स्पीकर समिट के दौरान भी पाकिस्तान की तरफ से ये मुद्दा उठाया गया, लेकिन भारत ने कड़ा जवाब देते हुए उसको चुप करा दिया. भारत की तरफ से राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने पाकिस्तान को बेनकाब करते हुए कहा कि जिस देश ने 1971 में नरसंहार को अंजाम दिया था और आजाद कश्मीर पर अवैध तरीके से कब्जा किया, उसे इस मसले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने का कोई नैतिक

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने अनुच्छेद-370 ख़त्म करने का जिक्र करते हुए न केवल इशारों-इशारों में पाकिस्तान पर निशाना साधा बल्कि इस अनुच्छेद को समाप्त करने वाले सांसदों के लिए उपस्थित जनसमूह से खड़े होकर ताली भी बजवा दी. मोदी के भाषण के दौरान ट्रंप भी ताली बजाते नजर आए.

अधिकार नहीं है. जाहिर है, वहां भी पाकिस्तान की बात पर किसीने ध्यान नहीं दिया और वो अपनी ढपली अपना राग गाकर चला आया.

इसके बाद पाकिस्तान यह मसला संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद में लेकर पहुँचा. दावा किया कि भारत कश्मीरियों के मानवाधिकार का हनन कर रहा है. ऐसी भी खबर आई कि अपने इस दावे के पक्ष में उसने भारत के ही दो बड़े विपक्षी नेताओं राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला के बयानों को आधार बनाया है. लेकिन भारत ने न केवल यूएनएचआरसी के मंच पर इस मुद्दे को उठाने के लिए पाकिस्तान को फटकार लगाई बल्कि उसे आइना दिखाते हुए यह भी कहा कि दूसरे देशों में अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों पर बात करने वालों को अपने देश का हाल देखना चाहिए. अंततः वहां भी पाकिस्तान की कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई समर्थन नहीं मिला.

सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों में एक चीन के सिवाय किसी देश का साथ पाकिस्तान को नहीं मिला, जबकि भारत के पक्ष में रूस का तो स्पष्ट समर्थन था ही, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने भी भारत के कदम का विरोध नहीं किया. बैठक में शामिल दस अस्थायी सदस्यों में से भी किसीने भारत के विरुद्ध पाकिस्तान का साथ नहीं दिया.

इस विषय में पाकिस्तान को अमेरिका से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन वो भी इस मसले पर भारत के ही साथ खड़ा है. संयुक्त राष्ट्र में तो अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ नहीं ही दिया, फिर जी-7 सम्मेलन में भी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ प्रेसवार्ता करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि जम्मू-कश्मीर भारत-पाकिस्तान का निजी मामला है और भारत इस विषय में दुनिया के किसी देश का हस्तक्षेप नहीं चाहता है.

इसके अलावा बीते 22 सितम्बर को अमेरिका के ह्यूस्टन में आयोजित 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो तालमेल दिखा तथा दोनों पक्षों द्वारा जिस तरह की बातें कही गयीं, वो अनुच्छेद-370 पर भारत के खिलाफ अमेरिका का साथ पाने की पाकिस्तान की रही-सही उम्मीदों को भी समाप्त करने वाला था. हाउडी मोदी कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने अनुच्छेद-370 ख़त्म करने का जिक्र करते हुए न केवल इशारों-इशारों में पाकिस्तान पर निशाना साधा बल्कि इस अनुच्छेद को समाप्त करने वाले सांसदों के लिए उपस्थित जनसमूह से खड़े होकर ताली भी बजवा दी. मोदी के भाषण के दौरान ट्रंप भी ताली बजाते नजर आए. मोदी ने भी आतंकवाद से मिलकर लड़ने की बात की तो वहीं ट्रंप ने भी अपने अंदाज में 'कट्टरपंथी इस्लाम' के खिलाड़ लड़ाई पर जोर दिया. ट्रंप ने यह भी कहा कि वे ह्वाईट हाउस में भारत के अबतक के सबसे अच्छे मित्र हैं. इन कुल बातों का यही संदेश है कि अमेरिका हर तरह से भारत के साथ है, और ये बात पाकिस्तान को समझ लेनी चाहिए.

अनुच्छेद-370 पर पाकिस्तान का इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में अलग-थलग पड़ना यूँ ही नहीं हुआ है, इसके पीछे मोदी सरकार के लम्बे समय से किए जा रहे कूटनीतिक प्रयास हैं. इन प्रयासों के कारण ही आज भारत ऐसी कूटनीतिक लामबंदी करने में कामयाब हुआ है कि पाकिस्तान इस मुद्दे को लेकर जहां भी जा रहा है, उसे मुंह की खानी पड़ रही है.

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं. यह लेखक के निजी विचार हैं.)

धारा-370 हटाने का विरोध बताता है कि कांग्रेस ने पिछली गलतियों से कोई सबक नहीं लिया है!

▸ रमेश कुमार दुबे

कांग्रेस की ऐतिहासिक भूल सुधारते हुए मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटाने का ऐलान किया जिसके साथ जम्मू-कश्मीर को मिला विशेष राज्य का दर्जा भी खत्म हो गया. इसे मोदी सरकार की कुशल रणनीति ही कहेंगे कि मोदी विरोधी पार्टियां भी सरकार के फैसले का साथ दे रही हैं. इनमें आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बीजू जनता दल, एआईडीएमके और वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख हैं.

यही कारण है जिस राज्य सभा में राजग को बहुमत नहीं था, वहां भी जम्मू-कश्मीर लद्दाख को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने वाला बिल आसानी से पास हो गया. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल के पक्ष में 125 और विरोध में 61 वोट पड़े. लोक सभा में इस बिल के पक्ष में 351 और विपक्ष में 72 वोट पड़े. अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

भले ही तमाम मोदी विरोधी दल और नेता जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक बार फिर आत्मघाती नीति पर चल पड़ी है. कांग्रेस के नेता आज सड़क से संसद तक अनुच्छेद 370 के पैरोकार बनकर उभरे हैं. कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी तो विरोध की सब सीमाएं लांघते हुए पाकिस्तान की तर्ज पर इसे यूएन में विचाराधीन मसला कहते हुए सरकार पर सवाल उठाने लगे. अधीर रंजन के इस कथन के कारण कांग्रेस को इस मसले पर और अधिक आलोचना का सामना करना पड़ रहा है.

राहुल गांधी ने भी सरकार के इस कदम को असंवैधानिक बताया. कहने की जरूरत नहीं कि कांग्रेस एकबार फिर ऐसी गलती कर रही है, जो उसे भारी नुकसान पहुंचाएगी. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भुवनेश्वर कलिता ने कांग्रेस के इस रुख में भागीदार बनने से इनकार करते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया.

गौरतलब है कि कांग्रेस की ओर से राज्य सभा में व्हिप जारी करने का दायित्व भुवनेश्वर कलिता पर ही था, लेकिन उन्होनें व्हिप जारी करने के बजाए कांग्रेस छोड़ देना ही बेहतर समझा. इसी तरह वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जनार्दन द्विवेदी ने धारा 370 हटाए जाने के मोदी सरकार के फैसले का यह कहते हुए समर्थन किया कि देर से ही सही इतिहास की पुरानी गलती को सुधारा गया.

कांग्रेस युवा नेताओं की जमात में शामिल मिलिंद देवड़ा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी मोदी सरकार के फैसले का स्वागत किया. कांग्रेस की भद्द तो तब पिटी जब युवा कांग्रेसी और राहुल गांधी के खासमखास ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जम्मू-कश्मीर के एकीकरण को देश हित में बताते हुए इसका समर्थन किया. दुर्भाग्यवश कांग्रेस इस बदलाव को नहीं समझ पा रही है और यही रूढ़िवादिता उसके पतन का कारण बन रही है.

हकीकत यह है कि अनुच्छेद 370 और 35ए के लिए कांग्रेस के पितृपुरुष नेहरू की सत्तालोभी नीति जिम्मेदार

है. अनुच्छेद 35ए को 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की ओर से जारी एक आदेश के जरिए गुप्त रूप से संविधान में शामिल कर दिया गया था. अनुच्छेद 35ए जम्मू-कश्मीर विधानसभा को राज्य के स्थायी निवासी की परिभाषा तय करने का अधिकार देता था.

इसके अनुसार जम्मू-कश्मीर के बाहर का कोई व्यक्ति राज्य में कोई संपत्ति नहीं खरीद सकता. इसके साथ ही कोई बाहरी व्यक्ति यहां की महिला से शादी करता है, तो महिला न केवल जम्मू-कश्मीर की नागरिकता से वंचित कर दी जाएगी बल्कि संपत्ति पर से भी उसका अधिकार खत्म हो जाएगा. इससे साबित होता है कि यह अनुच्छेद भारत के हित में नहीं था . मगर, अब मोदी सरकार के प्रयास से यह अनुच्छेद इतिहास की बात हो चुका है. केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अब पीओके और अक्साई चीन को लेकर भी स्पष्ट रुख रखा.

अनुच्छेद 370 और 35ए के लिए कांग्रेस के पितृपुरुष नेहरू की सत्तालोभी नीति जिम्मेदार है. अनुच्छेद 35ए को 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की ओर से जारी एक आदेश के जरिए गुप्त रूप से संविधान में शामिल कर दिया गया था. अनुच्छेद 35ए जम्मू-कश्मीर विधानसभा को राज्य के स्थायी निवासी की परिभाषा तय करने का अधिकार देता था.

देखा जाए तो कश्मीर इकलौती समस्या नहीं है जो कांग्रेस और जवाहर लाल नेहरू द्वारा देश का मिजाज न समझ पाने के कारण पैदा हुई. फारस की खाड़ी में पहुंच बनाने के लिए चीन आज पाकिस्तान के जिस ग्वादर बंदरगाह का विकास कर रहा है, उसे 1950 के दशक में ओमान के शासक ने भारत को बेचने के लिए जवाहर लाल नेहरू से संपर्क किया था, लेकिन नेहरू ने अदूरदर्शिता का परिचय देते हुए बंदरगाह का स्वामित्व लेने से इनकार कर दिया.

इसके बाद 1958 में ओमान ने ग्वादर बंदरगाह को पाकिस्तान को सौंपा. यदि उस समय नेहरू ग्वादर के दूरगामी महत्व को समझकर उसका विलय भारत में कर लेते, तो न सिर्फ मध्य एशिया में पहुंच के लिए भारत के पास एक अहम बंदरगाह होता बल्कि चीन ग्वादर तक पहुँच नहीं बना पाता. इसी प्रकार की अदूरदर्शिता का परिचय नेहरू ने अक्साई चिन मामले में दिया. इस मामले में नेहरू ने चीन की ओर से मंडराते खतरे की घोर अनदेखी की.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के मामले में भी नेहरू देश का मिजाज समझने में नाकाम रहे. 1950 के दशक में मुफ्त में मिल रही इस स्थायी सदस्यता को नेहरू ने सदाशयता दिखाते हुए चीन को दे दिया था. 1950 के दशक में नेहरू जी ने भारत का कोको द्वीप समूह बर्मा (अब म्यांमार) को उपहार में दे दिया. बाद में इस द्वीप समूह को म्यांमार ने चीन का उपहार में दे दिया और आज चीन ने इस द्वीप समूह को भारतीय गतिविधियों पर निगरानी रखने का अड्डा बना रखा है.

इसके अलावा शाहबानों केस से लेकर तीन तलाक तक सैकड़ों मुद्दे ऐसे हैं, जब कांग्रेसी सरकारों ने मुस्लिमपरस्ती, अदूरदर्शिता और अपने संकीर्ण स्वार्थों के कारण देश विरोधी काम किया. इसके बावजूद वे जनता के सिरमौर बने रहे तो इसलिए कि उस समय देश के मिजाज को समझने वाले नेताओं की कमी थी. अब उस कमी को भाजपा और नरेंद्र मोदी ने पूरा कर दिया है. ये सरकार न केवल कांग्रेस की गलतियों को उजागर कर रही बल्कि उन्हें सुधार भी रही है.

(लेखक केन्द्रीय सचिवालय में अधिकारी हैं. ये उनके निजी विचार हैं.)

साहसिक निर्णय से घाटी की बदलेगी तस्वीर

आदर्श तिवारी

जब देश में पूर्ण बहुमत की सरकार होती है तो आमजन के मस्तिष्क में यही भाव रहता है कि एक ताकतवर सरकार मजबूत फैसले लेने में पीछे नहीं हटती है. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आमजन की इस आकांक्षा को पूरा किया है. अनुच्छेद 370 और 35ए को लेकर देश में ऐसा माहौल बना दिया गया था मानो इस अनुच्छेद को हटाने के बारे में सोचना भी किसी बड़ी दुर्घटना को दावत देने जैसा है. इसे एक ऐसे संवेदनशील विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसमें साप्रदायिकता की गंध थी और तुष्टिकरण की नीति स्पष्ट तौर पर पिछली सरकारों के दौरान इस विषय पर देखी गई. इन सब के बीच कश्मीर का विकास कहीं गौण होकर रह गया था. क्षेत्रीय दलों एवं कांग्रेस ने इस अनुच्छेद की आड़ में सत्ता पर बने रहना का जो खेल खेला उसे देश ने देखा, अब देश यह भी देखेगा कि इन सरकारों के दौरान कैसे घाटी के विकास का धन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया. बहरहाल, 1952 से लेकर 2019 (पहले भारतीय जनसंघ) तक भाजपा ही एक राजनीतिक दल है जिसने जम्मू-कश्मीर को दिए गए कथित विशेष प्रावधानों को देश की अखंडता के लिए खतरा माना, यही नहीं अपने घोषणापत्रों एवं इसके विरोध में कई प्रस्ताव को संगठनात्मक स्तर पर पारित किया. एक घोषणापत्र का जिक्र करना समीचीन होगा. 1957 के लोकसभा चुनाव में जनसंघ ने अपने घोषणापत्र में लिखा कि "जनसंघ जम्मू-कश्मीर के पृथक संविधान रखने का विरोधी है, घाटी को सदा के लिए सुरक्षित बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसे पूर्ण रीति से संविधान के अंतर्गत लाने के लिए संविधान की धारा 370 को समाप्त किया जाए." गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के घोषणापत्र में भी भाजपा ने अपना यही दृष्टिकोण अपनाया और इस अनुच्छेद को खत्म करने की प्रतिबद्धता दिखाई. अपने दूसरे कार्यकाल के सौ दिन के अंदर ही नरेंद्र मोदी सरकार ने इस अनुच्छेद को खत्म कर दिया. यह कहना गलत नहीं होगा कि भाजपानीत सरकार ने इस अनुच्छेद को खत्म करके अपने नेताओं और करोड़ो देशवासियों के संकल्प को सिद्ध करके दिखाया है. यह किसी को भी अनुमान नहीं था कि अनुच्छेद 370 तथा 35ए को नई सरकार इतनी जल्दी इतिहास बनाने वाली है, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की दृढ़ इच्छाशक्ति एवं कुशल रणनीति के चलते 17 अक्टूबर, 1949 को शेख अब्दुल्ला के जाल में फंस कर नेहरु ने जो भूल की थी उस भूल को सुधारा गया. इसे संयोग ही कहेंगे कि नरेंद्र मोदी सरकार के साहसिक एवं ऐतिहासिक फैसले से देश में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का निस्तारण हो रहा है. 05 अगस्त 2019 को राज्यसभा में जब अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक को सदन के पटल पर रखा, तब किसी को अंदाज़ा नहीं था कि देश की आज़ादी के बाद से जिस अनुच्छेद को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए घाटी पर थोपा गया था उसे नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत ही सहजता से हटा दिया. अनुच्छेद 370 के खंड एक को छोड़कर इसके सभी प्रावधानों को हटाकर सरकार ने जम्मू-कश्मीर को भारत से जोड़ने में आ रही मनोवैज्ञानिक संशय को खत्म कर दिया है. सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले ने सम्पूर्ण

भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है. अखंड भारत की जो स्वप्न सरदार पटेल ने देखा था, जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिसके लिए बलिदान दिया था उस संकल्प को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है. नरेंद्र मोदी सरकार का यह निर्णय स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया जायेगा क्योंकि इस फैसले से भारत व कश्मीर के बीच जो अनुच्छेद विभाजन की रेखा खींचती थी उस विभाजनकारी रेखा को इस सरकार ने हटा दिया है. संसद के दोनों सदनों में इस विधेयक पर लंबी चर्चा हुई उसके बाद अनुच्छेद 370 और 35ए को हटाने पर सदन ने अपनी सहमति दी. हालाँकि कांग्रेस, सपा आदि दलों ने इसका विरोध किया. बहरहाल, इस निर्णय के उपरांत जम्मू-कश्मीर के लोगों को अब भारत के संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों की प्राप्ति होगी, जिससे वह अबतक वंचित रह गए थे. अब सवाल यह उठता है कि इतने वर्षों तक जम्मू-कश्मीर की जनता को उसके मौलिक अधिकारों से वंचित रखने का जिम्मेदार कौन है ?

1957 के लोकसभा चुनाव में जनसंघ ने अपने घोषणापत्र में लिखा कि "जनसंघ जम्मू-कश्मीर के पृथक संविधान रखने का विरोधी है, घाटी को सदा के लिए सुरक्षित बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसे पूर्ण रीति से संविधान के अंतर्गत लाने के लिए संविधान की धारा 370 को समाप्त किया जाए."

सवाल की तह में जाएँ तो हमें सबसे पहले अनुच्छेद 370 और 35ए से जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को होने वाले नुकसान का जिक्र आवश्यक हो जाता है. दरअसल कहने को तो यह अनुच्छेद उन्हें 'विशेष' बनाता था, लेकिन दुर्भाग्य से इसकी व्याख्या मजहब के आधार पर की जाने लगी. यह सर्वविदित है कि अनुच्छेद 370 संविधान में अस्थाई एवं अतिरिक विधायी प्रक्रिया के तौर पर शामिल किया गया था. इस अनुच्छेद के लागू होते ही जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में भारतीय संसद से अधिकार सिमट कर रह जाते हैं. केवल तीन विषय रक्षा, संचार और विदेश जैसे मामलों के कानून ही संसद बना सकती है. इस बात से सहजता से अनुमान लगाया जा सकता है कि 370 को हटाना भारत की अखंडता एवं संघीय ढांचे को बल देने के लिए कितना आवश्यक था. अनुच्छेद 370 की बात हो अथवा 35ए को जम्मू-कश्मीर में लागू करने की बात हो यह इतिहास की गलतियों में सबसे गंभीर गलती तत्कालीन सरकार द्वारा की गई थी, जिसका दुष्परिणाम भारत को आतंक के दंश के रूप में झेलना पड़ा और घाटी को लेकर लोगों के मन में एक अजीब मनोवैज्ञानिक धारणा बनती गई. नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने सभी धारणाओं को ध्वस्त करते हुए जम्मू–कश्मीर के विकास को बाधा बनने वाली इन धाराओं को निष्प्रभावी करके एक नए कश्मीर का निर्माण करने की बात कही है. जिसमें महिलाओं से भेदभाव ना हो, दलितों, वंचित, पीड़ितो को उनका हक मिल सके. कश्मीर के युवाओं को अच्छी शिक्षा और नौकरी मिल सके. अब ये संभव दिख रहा है. केंद्र सरकार के साथ-साथ कश्मीर में बड़ी कम्पनियाँ निवेश कर सकती है, पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं जन्म ले रही हैं. रिलायंस, अमूल जैसी बड़ी कम्पनियों ने जम्मू–कश्मीर में निवेश करने में दिलचस्पी दिखाई है. इस साहसिक निर्णय के पश्चात् जम्मू में नए सूरज का उदय हुआ है.अब वहाँ भी लोकतंत्र होगा, रोजगार होगा, शिक्षा एवं पारदर्शिता होगी.

(लेखक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन में रिसर्च एसोसिएट हैं. ये उनके निजी विचार हैं.)

मोदी-शाह के ऐतिहासिक काम का आजाद भारत के इतिहास में दूसरा उदाहरण मिलना कठिन है

प्रदीप सिंह

कुशल और सफल नेतृत्व के बारे में चाणक्य ने कहा है, 'जब किसी काम को करना शुरू करो तो असफलता से मत डरो और उसे छोड़ो मत. शासक के अंदर असफलता का डर नहीं होना चाहिए. काम करते रहो परिणाम की चिंता मत करो.' जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35-ए हटाते समय शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह चाणक्य की इसी नीति पर चले. इस मुद्दे पर देश पिछले सात दशकों से एक ही रास्ते पर चलते-चलते बंद गली में पहुंच गया था. इस जोड़ी ने ऐसा ऐतिहासिक काम किया है, जो पांच अगस्त से पहले अकल्पनीय माना जाता था. आजाद भारत के इतिहास में इसका कोई सानी नहीं है.

देश 70 साल से चक्रव्यूह में फंसा था

अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर देश सत्तर साल से एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ था. इस चक्रव्यूह को तोड़ना तो दूर इसको तोड़ने के बारे में सोचने से भी देश की सरकार और सत्तारूढ़ दल कतराता था. इस अनुच्छेद से सूबे के गिने हुए लोगों का निहित स्वार्थ जुड़ा था. अभिनेता मनोज वाजपेयी की एक फिल्म आई थी 'अय्यार'. इसमें उनका फौजी अफसर पूछता है कि जब सब लोग जानते हैं कि कश्मीर समस्या का हल क्या है, तो इसे हल क्यों नहीं करते? मनोज वाजपेयी कहते हैं कि जिस समस्या से सबके स्वार्थ जुड़े हों, उसे कोई हल नहीं करना चाहता. मोदी और शाह ने संसद में एक संकल्प के जरिये इसे तोड़ दिया.

मोदी-शाह ने बनाया असंभव को संभव

मोदी और शाह ने जो काम किया उसका असर देशवासियों पर तारी होने में अभी वक्त लगेगा. उसकी वजह यह है कि पूरा देश मान चुका था कि यह काम करने का साहस कोई जुटा नहीं पाएगा. मोदी से इसकी अपेक्षा थी कि शायद वह कुछ करें, लेकिन अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने कुछ नहीं किया, तो लोगों ने इसे प्रारब्ध समझकर स्वीकार कर लिया. दूसरे कार्यकाल के लिए उन्हें जनादेश देते समय मतदाता ने मान लिया था कि मोदी भी यह काम नहीं कर पाएंगे.

ऐतिहासिक फैसले पर भावना की अभिव्यक्ति होनी चाहिए

वास्तव में ऐसी दो-तीन पीढ़ियां हैं, जिन्होंने मान लिया था कि अपने जीवनकाल में वे यह होते हुए नहीं देख पाएंगे. यही कारण है कि गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में लग रहे वंदेमातरम् और भारत माता की जय के नारे को रोका नहीं.

वह सदन में खड़े हुए और कहा, 'सत्तर साल की टीस जा रही है तो भावना की अभिव्यक्ति होनी चाहिए.' प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने अनुच्छेद 370 और 35-ए हटाने और जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन का जो ऐतिहासिक काम किया उसका आजाद भारत के इतिहास में दूसरा उदाहरण मिलना कठिन है. यह ऐसा सुखद आश्चर्य है, जो ज्यादातर लोगों के लिए अकल्पनीय था और अब भी कई लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि यह सचमुच हो गया.

फैसले के कदम की गोपनीयता पर सवाल

जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे पर पल रहे कुछ दल और बुद्धिजीवी इस कदम की गोपनीयता पर सवाल उठाकर इससे अलोकतांत्रिक बताने का प्रयास कर रहे हैं. सरकार के तरीके से एक बार फिर चाणक्य नीति याद आती है. चाणक्य ने मंत्र (नीति) गुप्ति का सिद्धांत दिया था. इसे मंत्र संरक्षण भी कहा गया है. इसके मुताबिक राजा को अपनी नीति का संरक्षण कछुए की तरह करना चाहिए. जैसे कछुआ अपने खोल से उतना ही अंग निकालता है, जितने की जरूरत होती है. उसी तरह जिसको जितना काम दिया गया है, उसे उतना ही पता होना चाहिए.

कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा?

अमरनाथ यात्रा रोकी गई तब से लोग कयास लगा रहे थे कि क्या होने वाला है? अब जब अनुच्छेद 370 और 35 ए हटाकर और सूबे को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में पुनर्गठित कर केंद्र शासित क्षेत्र बना दिया गया, तो कहा जा रहा है कि इससे राज्य की हालत बिगड़ जाएगी. ऐसे लोगों से कोई पूछे कि सत्तर साल में राज्य के हालात सुधरे कब थे. क्या तब जब एक तिहाई से ज्यादा कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जब साढ़े तीन लाख हिंदुओं को घाटी से निकाल दिया गया, जब मस्जिदों से एलान हुआ कि अपनी जायदाद और औरतों को छोड़कर चले जाओ, तब या जब सैयद अली शाह गिलानी निजामे मुस्तफा लाने की बात कर रहे थे अथवा जब सूफी कश्मीर को जिहादी बना दिया गया या फिर जब नारे लग रहे थे कि कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा? पिछले तीन दशक में करीब 42 हजार लोग मारे गए. क्या इसे सुधरे हुए हालात का नतीजा कहें?

अनुच्छेद 370 और 35 ए पर तर्कपूर्ण बहस नहीं

दरअसल, विरोधियों के पास कोई तर्क है नहीं. संसद के दोनों सदनों में दो दिन इस पर बहस हुई. एक भी वक्ता यह नहीं बता पाया कि अनुच्छेद 370 और 35 ए ने कश्मीर के लोगों को क्या दिया या इस अनुच्छेद को बनाए रखने का औचित्य क्या है? जो अस्थायी था उसे स्थायी क्यों बनाया जाए. पांच अगस्त को जब अमित शाह ने इस अनुच्छेद के एक को छोड़कर बाकी सभी प्रावधानों को हटाने का संकल्प और जम्मू-कश्मीर राज्य के पुनर्गठन का विधेयक संसद में पेश किया तो एक ऐतिहासिक गलती को सुधारने का ही शुभारंभ नहीं हुआ.

जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन और भारत के साथ वास्तविक

गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में लग रहे वंदेमातरम् और भारत माता की जय के नारे को रोका नहीं. वह सदन में खड़े हुए और कहा, 'सत्तर साल की टीस जा रही है तो भावना की अभिव्यक्ति होनी चाहिए.' प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने अनुच्छेद 370 और 35-ए हटाने और जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन का जो ऐतिहासिक काम किया उसका आजाद भारत के इतिहास में दूसरा उदाहरण मिलना कठिन है. यह ऐसा सुखद आश्चर्य है, जो ज्यादातर लोगों के लिए अकल्पनीय था और अब भी कई लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि यह सचमुच हो गया.

मायने में एकीकरण और देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस में विघटन का बीजारोपण भी हो गया. कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं जनार्दन द्विवेदी, भुवनेश्वर कलिता, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दीपेंद्र हुडा, मिलिंद देवड़ा, रायबरेली की विधायक अदिति सिंह और कर्ण सिंह ने पार्टी के बजाय सरकार के समर्थन का विकल्प चुना.

अमित शाह का राजनीतिक कद कई गुना बढ़ा

इतिहास आपको इस बात के लिए याद नहीं रखता कि आपकी पैदाइश क्या है? इतिहास इस बात को याद रखता है कि आपने किया क्या? कश्मीर समस्या से निपटने के लिए सरकार ने जो कदम उठाया वह मोदी और शाह ही सोच सकते थे. संसद के दोनों सदनों में अमित शाह ने जिस तरह पूरी बहस का जवाब दिया उससे उनका राजनीतिक कद कई गुना बढ़ गया है. अभी तक देश ने उनके संगठन का कौशल देखा था. अब उन्होंने अपनी प्रशासनिक क्षमता का लोहा मनवा लिया है.

मोदी-शाह के सामने दूसरी बड़ी चुनौती है शांति व्यवस्था की

अब इस जोड़ी के सामने दूसरी बड़ी चुनौती घाटी के लोगों को यह समझाने की है कि सरकार ने जो कदम उठाया है वह उनके हित में है. यह चुनौती इसलिए बड़ी है, क्योंकि घाटी और उसके बाहर के कुछ राजनीतिक तत्वों की मंशा और कोशिश है कि शांति व्यवस्था बिगड़े. इसमें उनका साथ देने के लिए लिबरल मीडिया भी लामबंद है. हर तरह की अफवाह फैलाने की कोशिश हो रही है. इन तत्वों की पूरी ताकत इसमें लगी है कि संसद में मिली कामयाबी सड़क पर नाकामी में बदल जाए. यह चुनौती सरकार के लिए एक अवसर है. इसकी सफलता में विकास की अहम भूमिका होगी. शायद इसीलिए गृह मंत्री ने संसद में और प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में यह कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विकास करके दिखाएंगे.

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार है. यह लेख 10 अगस्त, 2019 को दैनिक जागरण में प्रकाशित हुआ था. ये उनके निजी विचार हैं.)

देर से उठा दुरुस्त कदम: आर्टिकल 370 हटने से कश्मीर-शेष भारत के बीच गिरी दीवार, विकास का मार्ग खुला

▸ प्रकाश सिंह और प्रतिभा नैथानी

कश्मीर को लेकर आजादी के समय से ही देश में अनिश्चितता बनी हुई थी. स्वतंत्रता के बाद भारत में रियासतों को तीन विकल्प दिए गए थे. पहला कि वे स्वतंत्र देश के रूप में अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं. दूसरा वे भारत में शामिल हो सकते हैं और तीसरा वे पाकिस्तान का हिस्सा बन सकते हैं.

महाराजा हरि सिंह स्वतंत्र देश का सपना देख रहे थे

कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने दुर्भाग्य से शुरू में ढुलमुल नीति अपनाई. वह शायद स्वतंत्र देश के रूप में रहने का सपना देख रहे थे, परंतु जब पाकिस्तान के सैनिकों और कबाइली लोगों ने राज्य पर हमला किया तब उन्हें लगा कि राज्य को बचाने का एक ही विकल्प है. उन्होंने भारत से मदद मांगी और भारत में विलय होना स्वीकार करते हुए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर 26 अक्टूबर, 1947 को हस्ताक्षर कर दिए. परंतु ब्रिटिश सरकार लॉर्ड माउंटबेटन के जरिये कुछ और ही खेल खेल रही थी.

कश्मीर भारत का अंग

माउंटबेटन ने कश्मीर के भारत का अंग बनने के बाद लिखा कि 'मेरी सरकार की इच्छा है जैसे ही जम्मू-कश्मीर की कानून-व्यवस्था दुरुस्त होती है और वहां से घुसपैठिये बाहर खदेड़े जाएंगे तो स्थानीय लोगों की भावनाओं के अनुसार राज्य का विलय सुनिश्चित किया जाएगा.' उन्हें ऐसा लिखने का कोई अधिकार नहीं था और कानूनी दृष्टि से यह गलत था.

अनुच्छेद 370- जम्मू-कश्मीर के रिश्तों की रूपरेखा

अनुच्छेद 370 केंद्र से जम्मू-कश्मीर के रिश्तों की रूपरेखा है. यह अनुच्छेद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बीच लंबी बातचीत के बाद 17 अक्टूबर, 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था. इसके प्रावधानों के अनुसार रक्षा, विदेश नीति और संचार मामलों को छोड़कर किसी अन्य मामले से संबंधित कानून बनाने और लागू कराने के लिए केंद्र को राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी. अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर का अलग झंडा रहा.

अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की मांग 1964 में उठी थी

उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 370 को हटाने की चर्चा समय-समय पर होती रही है. संसद के रिकॉर्ड खंगालने से

कुछ रोचक प्रसंग सामने आए हैं. उत्तर प्रदेश के बिजनौर से स्वतंत्र सदस्य प्रकाशवीर शास्त्री ने 11 सितंबर, 1964 को लोकसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल रखा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया जाए. उनका कहना था कि यह अनुच्छेद अस्थायी तो है ही, इसके रहने से चार समस्याएं उत्पन्न हुई हैं. पहली तो यह कि इसके कारण पाकिस्तान बराबर यह दुष्प्रचार करता है कि कश्मीर का अलग अस्तित्व है और वह भारत का हिस्सा नहीं है. दूसरी यह कि जो देश हमारे संविधान से परिचित नहीं है, उन्हें भी यह भ्रम हो रहा है कि कश्मीर का भारत से जुड़ाव अस्थायी है.

मोदी सरकार ने कश्मीर और शेष भारत के बीच की दीवार गिराकर देश की संप्रभुता को बल दिया है. निश्चय ही इससे अलगाववादियों और आतंकवादियों से निपटने में भी सहायता मिलेगी.

राजनीतिक परिस्थितियां बदल सकती हैं

तीसरी यह कि कश्मीर के जनमानस में भी यह भावना है कि किसी भी दिन राजनीतिक परिस्थितियां बदल सकती हैं और चौथी यह कि इस प्रावधान का लाभ उठाते हुए अलगाववादी बराबर भारत के विरुद्ध अनर्गल बातें करते रहते हैं. इस पर कुल 25 सांसदों ने बिल के पक्ष में भाषण दिए. कांग्रेस के हनुमंथैया ने कहा कि सभी सदस्य बिल के पक्ष में हैं और इसे पारित किया जाना चाहिए. भाकपा के एनसी चटर्जी ने कहा कि यह अनुच्छेद अस्थायी है और पूछा कि यह कब तक बना रहेगा. उन्होंने यह भी कहा कि इस समय प्रधानमंत्री नहीं हैं, अन्यथा मैं उनसे पूछता कि उनके शब्दकोश में अस्थायी के क्या अर्थ होते हैं.

अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का समर्थन

कश्मीर के सांसदों ने भी अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का जोरदार समर्थन किया था. कांग्रेस के श्यामलाल सर्राफ ने बिल का समर्थन करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर की जनता इस अनुच्छेद को नहीं चाहती. कश्मीर के ही गोपालदत्त मेंगी ने तो यहां तक कहा कि अनुच्छेद 370 प्रदेश के लिए एक अभिशाप है और यह हमें कोई विशेष दर्जा नहीं देता, बल्कि इसने हमें अपने देश में ही एक दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया है और यह शेष भारत एवं कश्मीर के बीच एक दीवार है.

भारतीय संविधान पूरी तरह लागू हो

उन्होंने यह भी बताया कि नेशनल कांफ्रेंस के महासचिव मीर कासिम से उनकी प्रात:काल बात हुई थी और उन्होंने भी कहा था कि भारतीय संविधान जम्मू-कश्मीर में पूरी तरह लागू किया जाना चाहिए. कश्मीर के एक अन्य सांसद और शेख अब्दुल्ला के करीबी अब्दुल गनी गोनी ने भी संसद से बिल पास करने को कहा. अपने बयान में उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री बख्शी गुलाम मोहम्मद ने भी अनुच्छेद 370 हटाने के लिए पहल की थी, परंतु केंद्र सरकार सहमत नहीं हुई थी. उन्होंने कहा, 'मैं नहीं जानता कि केंद्र सरकार पश्चिम के प्रभाव में है या वह पाकिस्तान को खुश करना चाहती है.'

कश्मीर की जनता पर अन्याय

केंद्र सरकार और कांग्रेस नेताओं पर उन्होंने कश्मीर की जनता पर अन्याय करने का आरोप लगाया और कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और अनुच्छेद 370 के प्रावधान अस्थायी हैं, जो हटा दिए जाने चाहिए. अपने भाषण

के अंत में उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को समाप्त किया जाना आवश्यक है ताकि हम सब भारत के समान नागरिक बन सकें और हमें दोयम दर्जे का नागरिक न समझा जाए.

जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत में विश्वास नहीं

कश्मीर के एक और सांसद सैयद नासिर हुसैन समनानी ने कहा कि हमारी क्या गलती है कि अनुच्छेद 370 समाप्त नहीं किया जा रहा है. हम चाहते हैं कि हमारे जीवनकाल में ही यह अभिशाप खत्म हो ताकि हम और हमारी संतानों का भविष्य सुरक्षित हो सके. गृहमंत्री को इशारा करते हुए उन्होंने पूछा कि आखिर यह प्रावधान अभी तक संविधान में क्यों है और कौन इसे बनाए रखना चाहते हैं. हम तो चाहते हैं कि जम्मू-कश्मीर में उसी तरह कानून लागू हों जैसे महाराष्ट्र, मद्रास और बंगाल में लागू होते हैं. हम जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत में विश्वास नहीं करते और इसीलिए हमने कश्मीर में मुस्लिम लीग नहीं बनने दी.

संसद के रिकॉर्ड खंगालने से कुछ रोचक प्रसंग सामने आए हैं. उत्तर प्रदेश के बिजनौर से स्वतंत्र सदस्य प्रकाशवीर शास्त्री ने 11 सितंबर, 1964 को लोकसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल रखा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया जाए. उनका कहना था कि यह अनुच्छेद अस्थायी तो है ही, इसके रहने से चार समस्याएं उत्पन्न हुई हैं. पहली तो यह कि इसके कारण पाकिस्तान बराबर यह दुष्प्रचार करता है कि कश्मीर का अलग अस्तित्व है और वह भारत का हिस्सा नहीं है. दूसरी यह कि जो देश हमारे संविधान से परिचित नहीं है, उन्हें भी यह भ्रम हो रहा है कि कश्मीर का भारत से जुड़ाव अस्थायी है.

अनुच्छेद 370 पर बहस

बिल पर बहस का जवाब देते हुए गृहमंत्री गुलजारी लाल नंदा ने कहा कि कुछ कानूनी दिक्कतें हैं जिससे अभी अनुच्छेद 370 समाप्त नहीं किया जा सकता, परंतु उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रकाशवीर शास्त्री की भावनाओं का आदर करते हुए निकट भविष्य में कोई रास्ता निकाला जाएगा. ये सभी बहस पचास साल से भी पहले हुई थी.

कश्मीर और शेष भारत के बीच की दीवार गिरी

मोदी सरकार ने कश्मीर और शेष भारत के बीच की दीवार गिराकर देश की संप्रभुता को बल दिया है. निश्चय ही इससे अलगाववादियों और आतंकवादियों से निपटने में भी सहायता मिलेगी. विकास का मार्ग भी प्रशस्त होगा, परंतु आने वाले दिन चुनौतीपूर्ण होंगे. पाकिस्तान हर संभव प्रयास करेगा कि कश्मीर में हालात बिगड़ें. उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार आतंकवादियों को कश्मीर में भेजा जाएगा. लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मुहम्मद को हरसंभव सहायता देकर पुलवामा या उससे भी ज्यादा गंभीर घटनाओं को अंजाम देने के लिए उकसाया जाएगा. केंद्र सरकार को इसके लिए अपने सुरक्षा बलों और खुफिया तंत्र को पूरी तरह सक्रिय रखना होगा.

(प्रकाश सिंह सीमा सुरक्षा बल के पूर्व महानिदेशक हैं और प्रतिभा नैथानी सेंट जेवियर कॉलेज, मुंबई में राजनीतिशास्त्र की विभागाध्यक्ष हैं. यह लेख 12 अगस्त, 2019 को दैनिक जागरण में प्रकाशित हुआ था. ये इनके निजी विचार हैं.)

पीएम मोदी ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर देश को 73वें स्वतंत्रता दिवस पर दिया अनमोल उपहार

▸ डॉ. एके वर्मा

देश आज 73वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. इस बार यह अवसर बेहद खास है, क्योंकि 'एकता और अखंडता' के संवैधानिक संकल्प को प्राप्त करने के लिए देश ने एक कदम और आगे बढ़ाया है. गत 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर और भारत के बीच विभाजक-रेखा खींचने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35-ए को मोदी सरकार ने समाप्त कर दिया. तमाम विपक्षी दलों ने भी इसका समर्थन किया. फिर भी कुछ दलों, नेताओं और बुद्धिजीवियों ने इसे 'लोकतंत्र का सबसे काला दिन' या 'लोकतंत्र की हत्या' करार दिया. कश्मीरी नेताओं को ऐसा लगना लाजिमी था, क्योंकि इससे उनकी तो राजनीतिक जमीन ही खिसक गई. उन्हें सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि ये प्रावधान एक झटके में खत्म हो जाएंगे और जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन कर लद्दाख व जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाएंगे. कुछ ने इसे अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रतिपादित 'कश्मीरियत, इंसानियत और जम्हूरियत' वाली अवधारणा के विरुद्ध बताया. लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि प्रत्येक मुद्दे, निर्णय और तरीके पर सहमति-असहमति बनी रहे और असहमतियों का भी उचित सम्मान किया जाए.

कश्मीर और कश्मीरियों से जोड़ने की पहल

बहरहाल इस कदम से देश को कश्मीर और कश्मीरियों से जोड़ने की अद्भुत पहल हुई है. अनुच्छेद 370 से कश्मीरियों की आजादी अधूरी थी. उनका एक तबका न तो देश से पूरी तरह जुड़ पा रहा था, न ही पाकिस्तान के प्रति अपनी निष्ठा खत्म कर पा रहा था. शेख अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद सईद के परिवारों ने राज्य की जनता के असमंजस को भांपकर उसे भावनात्मक रूप से राजनीतिक बंधक सा बनाकर जम्हूरियत का नाम दे दिया था. इसीलिए दोनों परिवारों के नेताओं ने अनुच्छेद 370 और 35-ए को हटाए जाने पर देश को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी.

लाखों कश्मीरी थे वोट डालने से वंचित

पिछले 70 वर्षों से लाखों कश्मीरी 'स्थायी निवासी' न होने के कारण विधानसभा और पंचायत चुनावों में न तो वोट डाल पा रहे थे और न ही प्रत्याशी बन पा रहे थे. किसी लोकतंत्र में स्वतंत्रता के प्रति इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? 1957 में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री बक्शी गुलाम मुहम्मद के अनुरोध पर पंजाब से जो तीन-चार हजार बाल्मीकि परिवार जम्मू-कश्मीर भेजे गए, उन्हें सफाई के अतिरिक्त किसी और कार्य करने की मनाही थी. यह कौन सी

जम्हूरियत है? लद्दाख की बौद्ध-बहुल जनसंख्या की उपेक्षा और घाटी के हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा न देना कैसे सेक्युलरिज्म से मेल खाता है?

कश्मीरियत बनाम 'इस्लामियत'

और क्या है कश्मीरियत? कुछ बुद्धिजीवी और नेता कश्मीरियत को 'इस्लामियत' से भ्रमित करते हैं. वे भारतीय समाज के स्वरूप को तो 'मेल्टिंग-पॉट' की जगह 'सलाद-पॉट' के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन स्वयं जम्मू-कश्मीर में 'सलाद-पॉट' की उपेक्षा पर मूकदर्शक बने रहते थे. 'मेल्टिंग-पॉट' सामाजिक-समरूपता का यूरोपीय सिद्धांत है जो इटली, फ्रांस और जर्मनी जैसे मुल्कों में दिखता है. वहीं 'सलाद-पॉट' विविधता में एकता का सिद्धांत है जिसे भारत, कनाडा और बेल्जियम आदि देशों में देखा जा सकता है. 'सलाद-पॉट' के हिमायती लोगों ने कभी जम्मू-कश्मीर के दलितों, कश्मीरी पंडितों और लद्दाखी बौद्धों का पक्ष लिया होता तो आज उनकी बात में कुछ वजन होता, लेकिन बीते कुछ वर्षों में जिस कश्मीरियत को अलगाववाद और आतंकवाद का पर्याय बना दिया गया, जनता उसे कैसे स्वीकार करे?

कश्मीर के साथ इंसानियत का व्यवहार

'इंसानियत' एक द्विपक्षीय भावना है. ऐसा नहीं हो सकता कि भारत की जनता कश्मीर के प्रति इंसानियत का प्रदर्शन करती रहे और बदले में उसे हिंसा, अपमान, जवानों की शहादत और पाकिस्तान के प्रति निष्ठा देखने को मिले. क्या यही इंसानियत है कि अपनी सेना के जवानों को हम पत्थर मारें? क्या यही इंसानियत है कि असंख्य निरीह लोगों की हत्या करने वाले पाक-प्रायोजित आतंकियों को शरण दें? देश ने कश्मीर के साथ हमेशा इंसानियत का व्यवहार किया, लेकिन बदले में क्या मिला? आतंक और अलगाव की बलवती होती प्रवृत्तियां? मुट्ठी भर लोगों की स्थानीय राजनीति पर पकड़ होने के कारण उनके गलत कार्यों का खामियाजा पूरे राज्य के लोगों को भुगतना पड़ता है.

'कश्मीरियत, इंसानियत और जम्हूरियत' के लिए प्रतिबद्ध

कोई नहीं चाहता कि वहां सेना हमेशा बनी रहे, लेकिन इसकी जिम्मेदारी तो जम्मू-कश्मीर की जनता को ही उठानी पड़ेगी. कश्मीर सीमावर्ती राज्य है जहां हमारी सरहद दो शत्रु देशों से लगती है, तो फिर अन्य राज्यों की अपेक्षा वहां सेना की मौजूदगी तो रहेगी. नि:संदेह जम्मू-कश्मीर के बहुसंख्यक लोग और भारत की जनता आज भी 'कश्मीरियत, इंसानियत और जम्हूरियत' के लिए प्रतिबद्ध हैं. मगर इसके साथ ही भारत की प्रतिरक्षा, एकता व अखंडता, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा और समेकित विकास सुनिश्चित करना कश्मीरियों सहित देश के सभी नागरिकों और केंद्र एवं जम्मू-कश्मीर सरकारों का संवैधानिक दायित्व भी है.

5 अगस्त का दिन इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित

5 अगस्त, 2019 का दिन इतिहास में स्वर्णाक्षरों में इसलिए भी लिखा जाएगा, क्योंकि अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता का नया युग देखने को मिलेगा. अभी वहां 'आतंकवाद की इंडस्ट्री' ही थी, लेकिन अब देसी-विदेशी निवेशक वहां कई उद्योग

इस कदम से देश को कश्मीर और कश्मीरियों से जोड़ने की अद्भुत पहल हुई है. अनुच्छेद 370 से कश्मीरियों की आजादी अधूरी थी. उनका एक तबका न तो देश से पूरी तरह जुड़ पा रहा था, न ही पाकिस्तान के प्रति अपनी निष्ठा खत्म कर पा रहा था.

लगा सकेंगे जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा. बाहर से योग्य पेशेवर और उद्यमी बिना भेदभाव के आ सकेंगे, क्योंकि अब मौलिक अधिकारों तथा सुविधाओं को प्राप्त करने हेतु 'स्थायी नागरिकता' की बंदिश खत्म हो गई है.

5 अगस्त, 2019 का दिन इतिहास में स्वर्णाक्षरों में इसलिए भी लिखा जाएगा, क्योंकि अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता का नया युग देखने को मिलेगा. अभी वहां 'आतंकवाद की इंडस्ट्री' ही थी, लेकिन अब देसी-विदेशी निवेशक वहां कई उद्योग लगा सकेंगे जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा.

कश्मीर को विलग करने वाले कानूनी प्रावधान खत्म

अभी कश्मीर को भारत से विलग करने वाले संवैधानिक-कानूनी प्रावधानों को खत्म किया गया है, पर राज्य की आबादी के एक हिस्से के दिलों में पिछले 70 वर्षों में जो दूरियां आई हैं, उन्हें खत्म होने में वक्त लगेगा. कश्मीर घाटी में स्थिति सामान्य होने और नजरबंद नेताओं की रिहाई के बाद कैसे हालात होंगे? अमेरिका, चीन और संयुक्त राष्ट्र से इस मुद्दे पर अपेक्षित समर्थन न मिलने के बावजूद पाकिस्तान राज्य में आगे किस तरह उपद्रवियों को भड़काएगा, अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता.

'भस्मासुर' बन पाक को भस्म कर दिया

मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को समाप्त नहीं किया है, बल्कि उसे 'भस्मासुर' बना उसी के द्वारा उसके प्रभाव को भस्म कर दिया है. अगस्त 1947 में एक स्वतंत्रता की कीमत देश को बंटवारे के रूप में चुकानी पड़ी थी. ऐसे में सभी देशवासी ईश्वर से प्रार्थना करें कि अगस्त 2019 में प्राप्त इस नई स्वतंत्रता की कीमत हमें दिलों के बंटवारे के रूप में न चुकानी पड़े.

(लेखक सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसायटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं, यह लेख 15 अगस्त, 2019 को दैनिक जागरण में प्रकाशित हुआ था. ये उनके निजी विचार हैं.)

कश्मीरियत बनाम जम्हूरियत: धरती के स्वर्ग में अब लगेंगे चार चांद

प्रो. धीरज शर्मा

अनुच्छेद 370 के खात्मे के साथ ही भारत का भाल जम्मू कश्मीर देश के धड़ से हर तरीके से जुड़ चुका है. ऐतिहासिक भूल को सुधारने वाली मोदी सरकार के साथ विश्व बिरादरी खड़ी है, वहीं देश के कुछ लोग वोट बैंक की राजनीति के चलते इस क्रांतिकारी भूल सुधार में मीन मेख निकाल रहे हैं. अनुच्छेद 370 अगर कश्मीरियत का पर्याय रहा, तो जम्हूरियत के अनादर का सबब भी बना. देश के किसी भी हिस्से में कमाई करने, जमीन खरीदने, शादी करने या फिर अपने मत से प्रतिनिधि चुनने को लेकर कोई पाबंदी नहीं है. कोई भी व्यक्ति कहीं भी केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकता है.यही असली लोकतंत्र है.

अनुच्छेद 370 के मौजूद रहते जम्मू-कश्मीर में देश के शेष हिस्से के लोग ऐसा नहीं कर पाते थे. 370 को कश्मीरियत वाली पहचान की गारंटी माना जाए तो किसी सीमारेखा में बंद पहचान के क्या मायने हैं? अन्य राज्यों की भी अपनी विशिष्टता है, संस्कृति है, आचार-लोकाचार है. उन्मुक्त भाव से उनकी संस्कृति और पहचान की खुशबू देश-दुनिया में महक-फैल रही है. विशेष दर्जा पाया जम्मू-कश्मीर दशकों से उधार लेकर घी पीता रहा है. पिछले 16 साल में सभी राज्यों को दिए जाने वाले केंद्रीय अनुदान में दस फीसद सिर्फ इसी राज्य को मिला है. नई परिस्थितियों में निवेश और कारोबारी माहौल के साथ यह ज्यादा मजबूती से अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा.

राजनीतिक एकीकरण भी केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद कहीं ज्यादा बेहतर हो पाएगा. 370 की बिसात पर गोटियां फेंटने वाले स्थानीय राजनीतिक दल अब जनकल्याण के काम से खुद को जोड़ पाएंगे. ऐसे में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद बतौर केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का भारत के साथ आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से बेहतर एकीकरण की पड़ताल आज हम सबके लिए बड़ा मुद्दा है.

वर्ष 2016 में सुरक्षा बलों द्वारा बुरहान वानी के मारे जाने के बाद कश्मीर घाटी में हिंसा बढ़ गई थी. इस अशांति के बाद उरी और पुलवामा की घटना हुई. भारत ने इन घटनाओं का मुंहतोड़ जवाब दिया. इस सप्ताह भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया. निर्णय के मद्देनजर, हर किसी को यह देखना चाहिए कि क्या अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से कश्मीरियों की बेहतरी होगी. मैंने शोधकर्ताओं की एक टीम का नेतृत्व किया, जिन्होंने कश्मीर के हालात को समझने के लिए कई हितधारकों से बात की. मैंने और मेरी टीम ने कश्मीर में अशांति के कारणों की पहचान करने के लिए स्थानीय लोगों, छात्रों, राजनेताओं, व्यापारियों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कर्मियों, जम्मू और कश्मीर पुलिस कर्मियों, सेना के अधिकारियों और जेल के कैदियों से बात करके आंकड़े एकत्र किए. यह बातचीत कोकरनाग, अनंतनाग, बिजबिहाड़ा, त्राल, अवंतीपोरा, बडगाम, पुलवामा, शोपियां जैसे क्षेत्रों में सार्वजनिक

रूप से की गई.

अध्ययन के बाद टीम ने चार कारकों को कश्मीर की वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार माना. पहला कारण पाकिस्तान, दूसरा राजनीतिक दल, तीसरा सुरक्षा बलों का विरोध और चौथा संस्थागत. इसलिए यह जांचना दिलचस्प होगा कि हाल के घटनाक्रम इन कारकों को कैसे प्रभावित करेंगे. पहला, कश्मीर की हिंसा में पाकिस्तान की भूमिका की पुष्टि किसी और ने नहीं खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने की है. उन्होंने कहा है कि हजारों सदस्यों वाले 40 आतंकी समूह पाकिस्तान में काम करते हैं.

अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ, भारत ने साफ कर दिया है कि कश्मीर अब विवादित क्षेत्र नहीं है और यह भारत का अभिन्न अंग है. इसलिए, पाकिस्तान पोषित आतंकी समूहों द्वारा कश्मीर में किसी भी तरह की हिंसा अब युद्ध छेड़ने के बराबर होगी. अब कश्मीर में पाकिस्तान की गतिविधियों पर रोक लगेगी. दूसरा, कश्मीर में राजनीतिक दलों ने कश्मीर के विकास के लिए बहुत कम काम किया है. उदाहरण के लिए, कैग की रिपोर्ट बताती है कि 2014 में कश्मीर सरकार को दी गई बाढ़ राहत राशि दूसरे कामों में लगा दी गई और आपदा प्रबंधन खराब था. भारतीय अर्थव्यवस्था में जम्मू-कश्मीर का योगदान कुल जीडीपी का एक फीसद से भी कम है.

अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ आम कश्मीरी बेहतर राजकोषीय प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, योजना कार्यान्वयन, परियोजना निष्पादन और केंद्रीय एजेंसियों के तहत निधि के वितरण की उम्मीद कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप संभवत: कश्मीर में समृद्धि बढ़ेगी. तीसरा, कश्मीर में सुरक्षा बल राज्य में कानूनी और प्रशासनिक ढांचे के कमजोर समर्थन के तहत काम करते हैं. एनसीआरबी डाटा के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में 1.01 करोड़ की आबादी है, लेकिन केवल 2338 लोग ही जेल में हैं, जो दर्शाता है कि देश में सबसे कम जेल में बंद कैदियों की संख्या जम्मू और कश्मीर में है. जम्मू-कश्मीर में जेलों की अक्यूपेंसी रेट 77.9 फीसद है. भारत के अधिकांश राज्यों में अत्यधिक भीड़-भाड़ वाली जेलें हैं. धारा 370 को निरस्त करने के साथ, एक अधिक प्रभावी प्रशासनिक और न्यायिक प्रक्रिया की उम्मीद है.

चौथा, कश्मीर में संस्थागत कमजोरियां स्पष्ट हैं. विशेष राज्य का दर्जा मिलने के कारण जीएसटी और फेमा का कार्यान्वयन कश्मीर में एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. अनुच्छेद 370 निरस्त होने के साथ निवेश और पर्यटन में वृद्धि होगी. हमारे सर्वेक्षण के अनुसार, कश्मीर के 78 फीसद निवासी अनुच्छेद 35 ए नहीं चाहते हैं क्योंकि यह संपत्ति बेचने के उनके अधिकारों को कम करता है और अचल संपत्ति की कीमतों को कम रखता है. इस अनुच्छेद के हटने से क्षेत्र में संपत्ति की खुली खरीद और बिक्री से कश्मीरियों को तत्काल लाभ होगा.

अंत में, यह जांचने के लिए कि क्या भारत सरकार को कश्मीर में अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए समर्थन मिलेगा, हमने कश्मीर घाटी के प्रमुख हिस्से में एक सर्वेक्षण किया. जिसके परिणाम नीचे दिए गए हैं. सर्वेक्षण के परिणामों से साफ पता चलता है कि भारत सरकार को समर्थन मिलने की उम्मीद है. कश्मीर, भारत के लिए एक पुराना मुद्दा रहा है. अब एक रणनीतिक निर्णय लिया गया है. इसलिए, यह देखने की जरूरत है कि अगले कुछ वर्षों में स्थिति कैसे सामने आएगी.

शहर समर्थन में लोग (%)	
अनंतनाग	60%
अच्छाबल	75.60%
अवंतीपोरा	80.86%
पंपोर	78.42%
त्राल	33.33%
बिजबिहाड़ा	60%
बडगाम	81.16%
पुलवामा	74.78%
शोपियां	61.58%
श्रीनगर	25.76%
सिंघापोरा	80%
बारामुला	66.45%

(लेखक आइआइएम रोहतक के निदेशक और अनुच्छेद 370 हटाए जाने से पहले प्रदेश में सर्वे टीम के मुखिया हैं, यह लेख 11 अगस्त, 2019 को दैनिक जागरण में प्रकाशित *हुआ था. ये उनके निजी विचार हैं.*)

कश्मीर के विकास में बाधा बन गया था अनुच्छेद 370

मृत्युंजय कुमार

जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन और अनुच्छेद 370 हटाने पर कुछ लोगों को छोड़ दें तो पूरे देश की राय एक जैसी है. सबका यही मानना है कि नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम देश और जम्मू-कश्मीर की बेहतरी के लिए बेहद जरूरी था. इसका असर राजनीतिक, सामाजिक और कूटनीतिक स्तर पर तो दिखेगा ही, आर्थिक स्तर पर खास तौर से महसूस किया जाएगा. गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में दिए गए अपने भाषण में इस संवैधानिक बदलाव से राज्य में शांति और तरक्की की उम्मीद जताई है. जम्मू-कश्मीर के लोगों से बातचीत करने पर पता चलता है कि इस पहलकदमी से अब उनको भी विकास की संभावनाएं दिखने लगी हैं. कारण समझने के लिए हमें थोड़ी गहराई में जाकर इस बात की पड़ताल करनी होगी कि अनुच्छेद 370 की इस राज्य के आर्थिक विकास में सकारात्मक या नकारात्मक, कैसी भूमिका थी और उसे हटाने से आगे क्या फर्क पड़ने वाला है.

जकड़ा हुआ जीवन

देश की आजादी से पहले जम्मू-कश्मीर की गिनती भारत के समृद्धतम इलाकों में होती थी. राजनीतिक तौर पर भी और आर्थिक रूप से भी. वहां के राजा उत्तर भारत के बड़े राजाओं में थे. पूरे देश में उनका प्रभाव था और कई इलाकों में उनकी संपत्ति फैली थी. आजादी के बाद जब पंडित जवाहर लाल नेहरू ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने के लिए अनुच्छेद 370 का प्रावधान कराया तो उसके बाद से वहां के विकास में जड़ता आ गई. रही-सही कसर 90 के दशक में पनपे आतंकवाद ने पूरी कर दी. आखिर एक व्यवसायी या उद्योगपति को क्या चाहिए होता है? सबसे पहले तो कानून-व्यवस्था बेहतर हो ताकि उसके द्वारा किया गया निवेश सुरक्षित रहे और उसके लोगों की जान माल की सुरक्षा हो. दूसरा, प्रशासन की व्यवस्था पारदर्शी हो, उसका रुख सहयोगपूर्ण हो. इन दोनों ही मोर्चों पर राज्य की स्थिति खराब थी. अलगाववाद और आतंकवाद ने हर तरह की सुरक्षा का भरोसा छीन लिया था. शासन की व्यवस्था भी पारदर्शी और सहयोगपूर्ण नहीं रह गई थी.

बतौर पत्रकार मुझे काफी समय तक जम्मू-कश्मीर में रहने का अवसर मिला. उस दौरान वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत में यह चर्चा अक्सर उठ जाती थी कि आर्टिकल- 370 की बंदिशों के चलते बड़े उद्योगपति वहां निवेश करने से कतराते हैं. थोड़े बहुत उद्योग-धंधे जम्मू के ब्राह्मणबाड़ी इलाके, सांबा और कठुआ में हैं. आरएसपुरा क्षेत्र में वहां के प्रसिद्ध चावल की पैकेजिंग और निर्यात का काम है. इसके अलावा पूरे प्रदेश में निजी काम-धंधे के नाम पर सिर्फ टूरिस्टों के लिए खुली दुकानों, होटेल और गेस्ट हाउसेज ही हैं. विडंबना यह है कि खुद वहां के लोग भी, जो अन्य प्रदेशों में काम कर रहे थे, अपने राज्य में पैसा लगाने से बचते थे. जम्मू के एक वरिष्ठ पत्रकार ने बताया कि वहां नियम यह था कि अगर कोई महंगी मशीन राज्य के किसी इलाके में लगती थी तो वह फिर प्रदेश से बाहर जा ही नहीं सकती

थी. अगर कोई ले जाने की कोशिश करता तो उस पर इतना बड़ा जुर्माना लग जाता था कि मशीन को वहीं सड़ने के लिए छोड़ देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता था. बाहर से अच्छे टेक्निशियंस और डॉक्टर्स वहां नहीं आना चाहते थे. इसीलिए पहले आ चुके होटेल समूह लेमन ट्री, रेडिसन, डाबर, बर्जर पेंट और सन फार्मा जैसी कंपनियों ने अपने हाथ बांध रखे थे. उन्होंने नया निवेश रोक लिया था और उतने ही पैसे धंधे में लगा रहे थे, जितने से रनिंग कॉस्ट निकल जाए. पहले बीएसएनएल ने हैंडसेट बनाने की एक फैक्ट्री लगाई थी पर उसे बंद करना पड़ा. इन सब वजहों से रोजगार के अवसर जितने बढ़ सकते थे, नहीं बढ़े.

आजादी के बाद जब पंडित जवाहर लाल नेहरू ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने के लिए अनुच्छेद 370 का प्रावधान कराया तो उसके बाद से वहां के विकास में जड़ता आ गई. रही-सही कसर 90 के दशक में पनपे आतंकवाद ने पूरी कर दी. आखिर एक व्यवसायी या उद्योगपति को क्या चाहिए होता है? सबसे पहले तो कानून-व्यवस्था बेहतर हो ताकि उसके द्वारा किया गया निवेश सुरक्षित रहे और उसके लोगों की जान माल की सुरक्षा हो.

इस समय जम्मू-कश्मीर में बेरोजगारी की दर करीब 5.2 फीसदी है और सात लाख से अधिक युवा बेरोजगार हैं. लेकिन दशकों से असंभव लग रहे इस फैसले को संभव करने वाले नए संकल्प के बाद स्थितियां बदलती दिख रही हैं. रिलायंस जैसे बड़े औद्योगिक घराने जम्मू-कश्मीर में निवेश के लिए उत्सुकता दिखा रहे हैं. केंद्र सरकार द्वारा पैकेज जारी होने के बाद इसमें और फर्क दिखेगा. वहां निवेश की तैयारी कर रहे पंजाब के एक समूह ने कहा कि बंदिशें हट जाने से अच्छे अस्पताल, अच्छे स्कूल और बड़े शैक्षिक संस्थान निवेश करेंगे तो अच्छे डॉक्टर्स, टेक्निशियंस और शिक्षाविदों को वहां काम करने और रहने में दिक्कत नहीं महसूस होगी. स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा. जम्मू-कश्मीर में 12 से 14 अक्टूबर को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उद्योगपतियों की बदली रुचि की झलक भी मिलेगी. अब जहां पुराने उद्योग समूह अपना विस्तार करने को तैयार हैं, वहीं पंजाब के ट्राइडेंट, हेल्मेट कंपनी स्टीलबर्ड, अमूल इंडिया, उदय कोटक और पॉलिसी बाजार जैसे समूह वहां काम करने और बड़े स्तर पर रोजगार का अवसर बनाने के लिए मन बना रहे हैं. स्थानीय उद्योग संगठनों को उम्मीद है कि बड़े उद्योगों के आने से स्थानीय लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, उनके लिए भी अवसर बढ़ेंगे- खासकर हॉस्पिटैलिटी, हैंडिक्राफ्ट और फूड प्रॉसेसिंग के क्षेत्र में.

बदलाव की बयार

प्रदेश के पुनर्गठन से विकास कार्यों पर फोकस करने और प्रशासनिक जटिलताओं को दूर करने में आसानी होगी. लोकसभा में अपने भाषण से देशव्यापी चर्चा में आए लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल कहते हैं कि हम विकास देखना चाहते हैं. लद्दाख में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई इंजीनियरिंग या प्रबंधन संस्थान नहीं है. यही सोच अधिकतर जम्मू-कश्मीर वासियों की भी है. 70 साल से चली आ रही एक बंदिश से निकलकर लोग अब विकास की उम्मीद देख रहे हैं और एक बेहतर जीवन स्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं.

(लेखक मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मीडिया सलाहकार हैं, यह लेख 16 अगस्त 2019 को नवभारत टाइम्स में प्रकाशित हुआ था. ये उनके निजी विचार हैं.)

सांप्रदायिकता बढ़ाने वाले अनुच्छेद 370 का जम्मू-कश्मीर से जाना

अजय सेतिया

मोदी सरकार के अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले का विरोध करने वाला कोई भी राजनीतिक दल यह नहीं बता पा रहा कि इसे क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए था. जो लोग पहले जनसंघ और बाद में भाजपा के 370 हटाने की मांग को सांप्रदायिक बताकर विरोध करते थे, उनका तर्क था कि यह मुस्लिम बहुल राज्य को दिए गए विशेषाधिकार का उल्लंघन होगा, इसलिए यह फैसला सांप्रदायिक होगा. हालांकि मोदी सरकार का यह फैसला सांप्रदायिकता पर चोट करने वाला और सेक्यूलरिज्म को बढ़ावा देनेवाला है, लेकिन विडंबना यह है कि सांप्रदायिकता का विरोध करने वाले सेक्यूलरिज्म के झंडाबरदार 370 हटाए जाने का विरोध कर रहे हैं.

संविधान के इस प्रावधान को बरकरार रखने के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा दो तर्क दिए जा रहे हैं. पहला यह है कि 1927 में महाराजा के कार्यकाल में ही बाहरी लोगों पर प्रतिबंध लगाने के लिए स्टेट सब्जेक्ट लागू हो गया था, संविधान में तो सिर्फ उस प्रावधान को बरकरार रखने की व्यवस्था की गई थी.

उनका तर्क है कि स्थानीय संस्कृति को बरकरार रखने के लिए स्टेट सब्जेक्ट लागू किया गया था. वे यह नहीं बता पाते कि अगर राजशाही के कानून-कायदों को ही बरकरार रखना है, तो लोकतंत्र और संसदीय प्रणाली का मतलब ही क्या है?

आंध्र प्रदेश में 370 नहीं है, तो क्या तेलगु संस्कृति नष्ट हो गई, या तमिलनाडु में तमिल संस्कृति नष्ट हो गई? फिर सवाल खड़ा होता है कि अगर कश्मीर में बाहरी लोग संपत्ति नहीं खरीद सकते, तो कश्मीरी लोगों को देश के अन्य हिस्सों में जमीन खरीदने का अधिकार क्यों दिया गया. उनके मुंबई में जमीन खरीदने या वहां जाकर बसने से मराठी संस्कृति नष्ट हो गई क्या?

दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में भी बाहरी लोगों के जमीन खरीदने पर प्रतिबंध है. यह तर्क असल में तर्कहीन है, किसी भी राज्य में जम्मू-कश्मीर की तरह पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, सभी राज्यों में कुछ शर्तें पूरी करने पर जमीनें खरीदी जा सकती हैं.

स्टेट सब्जेक्ट का मामला सिर्फ जमीनों का नहीं है, स्टेट सब्जेक्ट में संसद से ज्यादा अधिकार राज्य विधानसभा को दे दिए गए. भारत की संसद का कोई भी कानून तब तक कश्मीर पर लागू नहीं हो रहा था, जब तक कि वहां की विधानसभा उसे पास न करे. जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने बाल विवाह, शिक्षा का अधिकार, बाल मजदूरी, मानवाधिकार जैसे अनेक कानूनों का अनुमोदन नहीं किया.

शेख अब्दुल्ला ने जवाहर लाल नेहरू से अपनी निकटता का फायदा उठाकर 370 का प्रावधान एक साजिश के तहत शामिल करवाया था, 1927 का स्टेट सब्जेक्ट तो जवाहर लाल नेहरू को राजी करने के लिए सिर्फ एक बहाना था.

उस साजिश को सरदार पटेल और डॉ. आंबेडकर समझते थे, इस लिए वे 370 के लिए राजी नहीं हुए थे, वह तो नेहरू की इच्छा के कारण सरदार पटेल ने उनकी मदद की, वर्ना सब जानते हैं कि कांग्रेस ने भी 370 जोड़ने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था.

शेख अब्दुल्ला की साजिश को समझने के लिए उनकी आत्मकथा आतिश-ए-चिनार पढ़नी पड़ेगी, जिसमें उन्होंने महाराजा हरि सिंह के खिलाफ उनकी रहनुमाई में चलाए गए मुस्लिम आंदोलन के बारे में विस्तार से लिखा है. उनके भड़काऊ सांप्रदायिक भाषण की वजह से उन्हें 1931 में गिरफ्तार किया गया था.

आंध्र प्रदेश में 370 नहीं है, तो क्या तेलगु संस्कृति नष्ट हो गई, या तमिलनाडु में तमिल संस्कृति नष्ट हो गई? फिर सवाल खड़ा होता है कि अगर कश्मीर में बाहरी लोग संपत्ति नहीं खरीद सकते, तो कश्मीरी लोगों को देश के अन्य हिस्सों में जमीन खरीदने का अधिकार क्यों दिया गया. उनके मुंबई में जमीन खरीदने या वहां जाकर बसने से मराठी संस्कृति नष्ट हो गई क्या?

किशोरावस्था से ही वह एक घोर सांप्रदायिक नेता थे. उन्होंने बाकायदा मुस्लिम आंदोलन शुरू किया था और जम्मू-कश्मीर में मुस्लिम लीग की शाखा खोली थी. लेकिन नेहरू के नजदीक आने के कारण उन्हें महाराजा हरि सिंह का विकल्प बनाकर पेश कर दिया गया, जबकि वह न तो निर्वाचित प्रतिनिधि थे और न महाराजा के प्रतिनिधि.

कश्मीर घाटी को मुस्लिम बहुल बनाए रखने की साजिश के तहत शेख अब्दुल्ला ने संविधान में 370 जुड़वाया, जो 35 ए जोड़ने का आधार बना, जिसके तहत कश्मीर का अपना संविधान भारत के संविधान पर भारी हो गया.

शेख अब्दुल्ला जो बात कहते रहे, नेहरू उसे मानते रहे. वर्ना न तो कश्मीर को विशेष दर्जा देने की मांग महाराजा ने की थी, और न ही यह विलय की शर्त थी, जैसा कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने संसद में बहस के समय कहा. बाद में कांग्रेस इस जाल में फंस गई कि मुसलमानों को खुश रखने के लिए 370 बनाए रखना जरूरी है, जबकि कश्मीर के मुसलमानों का शेष भारत के मुसलमानों से कोई रिश्ता ही नहीं है.

अगर वे शेष भारत के मुसलमानों से रिश्तेदारी रखना चाहते, तो कश्मीर के संविधान में यह प्रावधान क्यों जुड़वाते कि कश्मीर की बेटी अगर कश्मीर से बाहर शादी करेगी, तो संपत्ति पर उसका अधिकार खत्म हो जाएगा. उन्हें पता था कि कश्मीर की हिंदू लड़कियों का ही भारत के अन्य भागों में रिश्ता होगा और संपत्ति के उनके अधिकार खत्म होते जाएंगे.

बात सिर्फ संपत्ति तक खत्म नहीं हुई, राज्य के संविधान का बहाना बनाकर यहां तक प्रावधान कर लिया गया कि अगर पाकिस्तान से मुस्लिम कश्मीर में आते हैं, तो उन्हें नागरिकता मिलेगी, लेकिन वहां से आने वाले हिंदुओं को नहीं. क्या मुस्लिम बहुल राज्य को इस तरह का गैर बराबरी वाला सांप्रदायिक अधिकार देना किसी भी हालत में किसी लोकतांत्रिक और सेक्यूलर देश में जायज था?

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, यह लेख अमर उजाला में 11 अगस्त 2019 को प्रकाशित हुआ था. ये उनके निजी विचार हैं.)

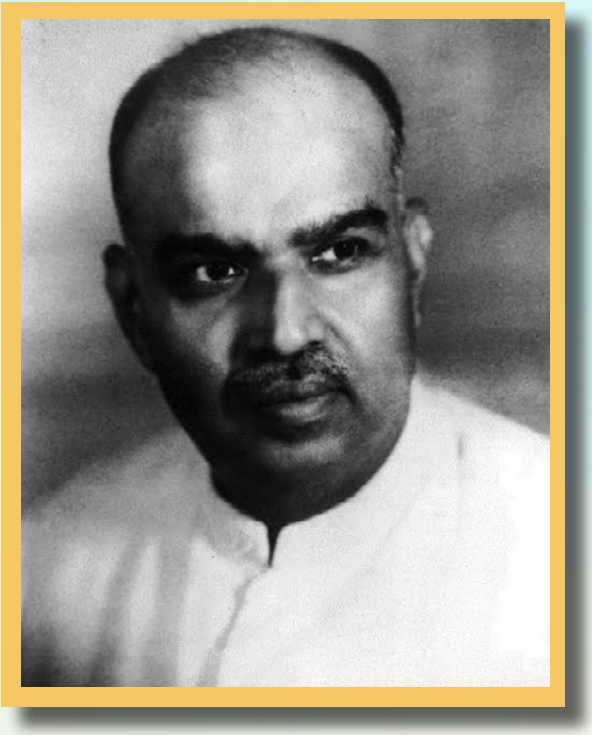

"The gigantic task of reconstruction, cultural, social, economic and political can be rendered possible thought coordinated efforts of bands of trained and disciplined Indians. Armed with the knowledge of Indian's past glory and greatness, her strength and weakness, it is they who can place before their country a programme of work, which whileloyal to the fundamental traditions of India civilisation will be adapted to the changing conditions of the modern world."

-Dr. Syama Prasad Mookerjee

Convocation Address delivered at Gurukul Kangri Viswavidyalaya, Haridwar, 1943

Published By:
Dr. Syama Prasad Mookerjee Research Foundation
9, Ashoka Road New Delhi - 110001
E-mail: office@spmrf.org, Phone: 011-23005850